



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13082021-228983
CG-MH-E-13082021-228983

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]
No. 333]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2021/श्रावण 22, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2021/SHRAVANA 22, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 13 अगस्त, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/40.—कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों के फायदे हेतु जारी किए जाने वाले स्वेट इक्विटी शेयरों और लाई जाने वाली सभी स्कीमों (जिनके अंतर्गत शेयरों में, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, लेनदेन शामिल हो) को विनियमित करने और उनसे संबंधित विषयों का प्रावधान करने के लिए (ताकि न केवल ऐसी स्कीमें सुचारू रूप से चलें, बल्कि किसी संभावित हेराफेरी को भी रोका जा सके), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 54 एवं धारा 62 तथा कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 8 एवं 12 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क और धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय-I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना

- (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
- (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

(3) इन विनियमों के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू होंगे, -

- (i) कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीमें;
- (ii) कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीमें;
- (iii) स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार संबंधी स्कीमें;
- (iv) कर्मचारी फायदों की सामान्य स्कीमें
- (v) सेवानिवृत्ति फायदे संबंधी स्कीमें; और
- (vi) स्वेट इक्विटी शेयर।

(4) इन विनियमों के प्रावधान ऐसी किसी कंपनी पर लागू होंगे, जिसके इक्विटी शेयर भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, और जो स्वेट इक्विटी शेयर जारी करना चाहती हो या जिसकी ऐसी स्कीम हो:-

- (i) जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों के फायदे के लिए हो; और
- (ii) जिसके अंतर्गत, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी की प्रतिभूतियों में लेनदेन करना या उनमें पैसा लगाना (में अभिदान करना / उन्हें सब्सक्राइब करना) या उन्हें खरीदना शामिल हो; और
- (iii) जो, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करती हो:
 - (क) स्कीम कंपनी या उसके समूह (ग्रुप) की किसी अन्य कंपनी द्वारा बनाई जाए।
 - (ख) कंपनी या उसके समूह की किसी अन्य कंपनी द्वारा स्कीम में पैसा लगाया जाए (फंडिंग की जाए) या स्कीम की गारंटी दी जाए।
 - (ग) स्कीम पर नियंत्रण कंपनी या उसके समूह की किसी अन्य कंपनी का हो या वही उसका कामकाज देखती हो।

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) के संबंध में निर्धारित प्रावधान इन विनियमों के अनुसार और इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) का पालन करते हुए नए शेयर जारी करने वाली कंपनी के मामले में लागू नहीं होंगे, जब तक कि इन विनियमों में विशेष रूप से कोई प्रावधान न किया गया हो।

2. परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों आदि और वैसे ही शब्दों के वही अर्थ होंगे, जो नीचे उनके लिए दिए हुए हैं, -

- (क) "अधिनियम" का अर्थ है - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15);
- (ख) "मूल्य-वृद्धि" का अर्थ है - यथास्थिति, स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार (एसएआर) का प्रयोग किए जाने की तारीख या एसएआर का अधिकार मिलने की तारीख को कंपनी के शेयर की बाजार कीमत और एसएआर की कीमत के बीच का अंतर;
- (ग) "सहयोगी कंपनी" (एसोसिएट कंपनी) का वही अर्थ होगा, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(6) में परिभाषित है;
- (घ) "बोर्ड" का अर्थ है - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड;
- (ङ) "कंपनी" का वही अर्थ होगा, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(20) में परिभाषित है;
- (च) "नियंत्रण" का वही अर्थ होगा, जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 [सिबी (सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) रेग्यूलेशन्स, 2011] में परिभाषित है;

- (छ) "निदेशक" का वही अर्थ होगा, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(34) में परिभाषित है;
- (ज) "आपात स्थिति" (इमर्जेंसी) का अर्थ है - ऐसी स्थिति जिसमें स्कीम के उद्देश्य (उद्देश्यों) के अनुरूप प्रतिबद्धता (प्रतिबद्धताओं) को पूरा करने के लिए न्यास (ट्रस्ट) को पैसों (फंड) की जरूरत पड़े;
- (झ) स्वेट इक्विटी शेयर जारी करने से संबंधित मामले को छोड़कर, "कर्मचारी" का अर्थ है, -
- (i) कंपनी द्वारा नामित वह कर्मचारी, जो केवल भारत में या भारत के बाहर कार्य कर रहा हो; या
- (ii) कंपनी का निदेशक, चाहे वह पूर्णकालिक निदेशक हो या न हो, जिसमें गैर-कार्यपालक निदेशक (नॉन-एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर) शामिल है [जो संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) का सदस्य न हो], किंतु जिसमें स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं है; या
- (iii) कंपनी की समूह कंपनी (ग्रुप कंपनी) जिसमें उसकी समुनषंगी (सब्सिडियरी) या सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) कंपनी भी शामिल है, चाहे भारत में हो या भारत के बाहर, का या उसकी नियंत्रि (होल्डिंग / धारिता) कंपनी का कर्मचारी [उप-खंड (i) या (ii) में यथा परिभाषित], किंतु जिसमें -
- (क) वह कर्मचारी शामिल नहीं है, जो संप्रवर्तक (प्रोमोटर) हो या संप्रवर्तक समूह से संबंधित व्यक्ति हो; या
- (ख) वह निदेशक शामिल नहीं है, जो या तो स्वयं या अपने नातेदार के माध्यम से या किसी निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी के बकाया इक्विटी शेयरों के दस प्रतिशत से अधिक धारण करता हो;
- (ञ) "कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम" का अर्थ है - वह स्कीम, जिसके तहत कंपनी प्रत्यक्ष रूप से या न्यास (ट्रस्ट) के माध्यम से कर्मचारियों को कर्मचारी स्टॉक विकल्प प्रदान करती है;
- (ट) "कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम" का अर्थ है - वह स्कीम, जिसके तहत कंपनी, सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के तहत या किसी अन्य प्रकार से, अथवा न्यास के माध्यम से (जहाँ न्यास स्कीम के प्रयोजनार्थ द्वितीयक बाजार से खरीद सकेगा) कर्मचारियों को शेयरों का प्रस्ताव करती है;
- (ठ) "अधिकार के प्रयोग" का अर्थ है - यथास्थिति, इन विनियमों के अध्याय-III के भाग-क या भाग-ग में दी हुई स्कीमों के अनुसरण में मिले विकल्पों (ऑप्शन) या मिले एसएआर के तहत, यथास्थिति, शेयर जारी करने के लिए या नकद रूप में मूल्य-वृद्धि (एप्रिसिएशन) के लिए कर्मचारी द्वारा कंपनी के पास या न्यास के पास किया जाने वाला आवेदन;
- (ड) "अधिकार के प्रयोग की अवधि" का अर्थ है - अधिकार मिलने के बाद की वह समयावधि, जिसके भीतर कर्मचारी, यथास्थिति, इन विनियमों के अध्याय-III के भाग-क या भाग-ग में दी हुई स्कीमों के अनुसरण में मिले विकल्प के तहत शेयरों या मिले एसएआर के तहत मूल्य-वृद्धि के लिए आवेदन करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है;
- (ढ) "अधिकार के प्रयोग हेतु देय कीमत" का अर्थ है - कर्मचारी द्वारा, यथास्थिति, इन विनियमों के अध्याय-III के भाग-क या भाग-ग में दी हुई स्कीमों के अनुसरण में, उस कर्मचारी को प्रदान किए गए विकल्प या एसएआर का प्रयोग करने के लिए अदा की जाने वाली कीमत (यदि कोई हो);
- (ण) "कर्मचारी फायदों संबंधी सामान्य स्कीम या जीईबीएस" का अर्थ है - इन विनियमों के अनुसार बनाई गई कंपनी की ऐसी कोई स्कीम, जो कर्मचारी कल्याण [जिनमें हेल्थकेयर (स्वास्थ्य संबंधी देखभाल) संबंधी फायदे, अस्पताल में देखभाल संबंधी फायदे अथवा अस्पताली फायदे, या बीमारी, दुर्घटना, दिव्यांगता, मृत्यु हो जाने की दशा में दिए जाने वाले फायदे या छात्रवृत्ति निधियाँ (फंड), या ऐसी कंपनी द्वारा यथा निर्धारित ऐसा कोई अन्य फायदा शामिल है] के उद्देश्य से कंपनी के शेयरों या उसकी सूचीबद्ध (लिस्टिड) नियंत्रि कंपनी (होल्डिंग / धारिता कंपनी) के शेयरों में लेनदेन से संबंधित हो;
- (त) "प्रदान करने (ग्रान्ट)" का अर्थ है - वह प्रक्रिया, जिसके जरिए कंपनी किसी भी स्कीम के तहत विकल्प, एसएआर, शेयर या कोई अन्य फायदे जारी करती है;
- (थ) "प्रदान करने (ग्रान्ट) की तारीख" का अर्थ है - वह तारीख, जिस तारीख को प्रतिकर समिति (कम्पन्सेशन

कमेटी) प्रदान करने (ग्रान्ट) को मंजूरी देती है।

स्पष्टीकरण, - लेखा-जोखा रखने के उद्देश्य से, 'प्रदान करने की तारीख' लागू लेखा मानकों (अकाउंटिंग स्टैण्डर्ड) के अनुसार तय की जाएगी;

- (ढ) "समूह" (ग्रुप) का अर्थ है - दो या दो से अधिक कंपनियाँ, जो, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से -
- (i) दूसरी कंपनी में छब्बीस प्रतिशत या उससे अधिक मताधिकारों का प्रयोग करने की स्थिति में हों; या
 - (ii) दूसरी कंपनी में निदेशक मंडल के पचास प्रतिशत से अधिक सदस्य नियुक्त करने की स्थिति में हों; या
 - (iii) दूसरी कंपनी के प्रबंधन या कामकाज पर नियंत्रण रखने की स्थिति में हों;
- (ण) "आईएसीआई" का अर्थ है - भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान;
- (त) "अंतरंग व्यक्ति" (इनसाइडर) का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 में इसके लिए दिया हुआ है;
- प. "स्वतंत्र निदेशक" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में इसके लिए दिया हुआ है;
- फ. "आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आईपीओ" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में इसके लिए दिया हुआ है;
- ब. "प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति" का वही अर्थ होगा, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(51) में परिभाषित है;
- भ. "बाजार कीमत" (बाजार भाव) का अर्थ है - जिस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हों, वहाँ सुसंगत तारीख से ठीक पहले की तारीख को अंतिम उपलब्ध बंद भाव।
- स्पष्टीकरण**.- यदि ऐसे शेयर एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हों, तो जिस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई हो वहाँ के बंद भाव को बाजार कीमत (बाजार भाव) माना जाएगा;
- म. "मर्चेन्ट बैंकर" का अर्थ है - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंकर) विनियम, 1992 के विनियम 2(1)(गख) के तहत परिभाषित मर्चेन्ट बैंकर, जो अधिनियम की धारा 12 के तहत रजिस्ट्रीकृत हो;
- य. "विकल्प" (ऑप्शन) का अर्थ है - कर्मचारी को दिया गया वह विकल्प, जो ऐसे कर्मचारी को, कंपनी द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रस्तावित शेयरों को, पहले से ही तय भाव (कीमत) पर, बाद में किसी तारीख को खरीदने या उसमें पैसा लगाने (अभिदान/ सब्सक्राइब करने) का अधिकार देता हो;
- कक. "विकल्प पाने वाला" (ऑप्शन ग्रान्टी) का अर्थ है - वह कर्मचारी, जिसके पास किसी कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के अनुसरण में विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार हो किंतु बाध्यता न हो;
- खख. "आईपीओ से पहले की स्कीम" का अर्थ है - कंपनी का आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) आने से पहले और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में उसके इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने से पहले बनाई गई कोई स्कीम;
- गग. "संप्रवर्तक" (प्रोमोटर) का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में इसके लिए दिया हुआ है;
- घघ. "संप्रवर्तक समूह" (प्रोमोटर ग्रुप) का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में इसके लिए दिया हुआ है;
- डड. "मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" का अर्थ है - वह स्टॉक एक्सचेंज, जिसे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 4 के तहत मान्यता प्रदान की गई हो;
- चच. "रजिस्ट्रार" का अर्थ है - वह निर्गम रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार टू इश्यू) जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 के विनियम 2(ब) [2(एफ)] में परिभाषित है और जिसमें वह शेयर अंतरण अभिकर्ता (शेयर ट्रांसफर एजेंट) भी शामिल है, जैसा उन विनियमों के विनियम 2(छ) [2(जी)] में परिभाषित है, और जिसे अधिनियम की धारा 12 के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया

जाता है;

छछ. "नातेदार" का वही अर्थ होगा, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(77) में परिभाषित है;

जज. "सुसंगत तारीख" का अर्थ है,-

(i) प्रदान किए जाने (ग्रान्ट) के मामले में, प्रतिकर समिति (कम्पेनसेशन कमेटी) की बैठक की वह तारीख जिस तारीख को इस प्रकार ग्रान्ट दिया जाता है; या

(ii) अधिकार के प्रयोग के मामले में, वह तारीख जिस तारीख को अधिकार के प्रयोग की सूचना (का नोटिस) कर्मचारी द्वारा कंपनी को या न्यास (ट्रस्ट) को दी जाती (दिया जाता) है;

झझ. "सेवानिवृत्ति फायदे संबंधी स्कीम या आरबीएस" का अर्थ है - इन विनियमों के अनुसार बनाई गई कंपनी की ऐसी कोई स्कीम, जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति फायदे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से [बशर्ते कि भारत में सेवानिवृत्ति फायदों से संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत यथा लागू मौजूदा नियमों और विनियमों (रेग्यूलेशन) का पालन किया जाए] कंपनी के शेयरों या उसकी सूचीबद्ध (लिस्टिड) नियंत्रिणी कंपनी (धारिता / होल्डिंग कंपनी) के शेयरों में लेनदेन से संबंधित हो;

ञञ. "एसएआर पाने वाला" (एसएआर ग्रान्टी) का अर्थ है - वह कर्मचारी, जिसे एसएआर प्रदान किया जाए;

टट. "एसएआर कीमत" का अर्थ है - मूल्य-वृद्धि की गणना करने के उद्देश्य से एसएआर प्रदान किए जाने (ग्रान्ट) की तारीख को तय की गई आधार कीमत (बेस प्राइस);

ठठ. "स्कीम" का अर्थ है - कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों हेतु शेयर आधारित फायदे उपलब्ध कराने के लिए इन विनियमों के अध्याय-III के तहत लाई जा रही कोई स्कीम, जो, इन विनियमों के अनुसार, ऐसी कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या न्यास के माध्यम से कार्यान्वित की जा सकेगी तथा उसका प्रबंधन उनके द्वारा किया जा सकेगा;

डड. "प्रतिभूतियों" का अर्थ है - वे प्रतिभूतियाँ, जिनकी परिभाषा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(ज) [2(एच)] में दी हुई है ;

ढढ. "द्वितीयक बाजार से खरीदने" (सेकन्डरी एक्विजिशन) का अर्थ है - नकद रकम देकर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए न्यास (ट्रस्ट) द्वारा कंपनी के मौजूदा शेयरों की खरीद;

णण. "सेक्रेटेरियल ऑडिटर" का अर्थ है - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के विनियम 24क के अनुसार सेक्रेटेरियल ऑडिट करने के लिए कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 8 के तहत कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया पेशेवर कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी);

तत. "शेयर" का अर्थ है - इक्विटी शेयर और इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय (कन्वर्टिबल) प्रतिभूतियाँ और जिसमें अमरीकी निक्षेपागार रसीदें (एडीआर), वैश्विक निक्षेपागार रसीदें (जीडीआर) या अन्य निक्षेपागार रसीदें (डिपॉजिटरी रिसीट) शामिल हैं, जिनके अंडरलाइंग इक्विटी शेयर या इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ हों;

थथ. "स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार या एसएआर" का अर्थ है - एसएआर पाने वाले को दिया गया वह अधिकार, जो उसे कंपनी के निश्चित संख्या के शेयरों हेतु मूल्य-वृद्धि प्राप्त करने का हकदार बनाता है, जहाँ ऐसी मूल्य-वृद्धि का निपटान (सैटलमेंट) नकद भुगतान के रूप में या फिर कंपनी के शेयरों के रूप में किया जा सकेगा;

स्पष्टीकरण 1, - जिस एसएआर का निपटान (सैटलमेंट) कंपनी के शेयर देकर किया गया हो, उन्हें इक्विटी देकर निपटाया गया एसएआर कहा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2, - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, स्टॉक मूल्यवृद्धि अधिकार या एसएआर के किसी संदर्भ का अर्थ होगा - इक्विटी देकर निपटाए गए (इक्विटी सेटलड) एसएआर, और जिसमें ऐसी कोई स्कीम शामिल नहीं होगी जो, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में लेनदेन (डीलिंग) करने या उनमें पैसा लगाने (अभिदान करने) या उन्हें खरीदने से संबंधित न हो ।

- दद. "स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार संबंधी स्कीम या एसएआर स्कीम" का अर्थ है - वह स्कीम, जिसके तहत कंपनी कर्मचारियों को एसएआर प्रदान करती है;
- धध. "स्वेट इक्विटी शेयरों" का अर्थ है - वे स्वेट इक्विटी शेयर, जिनकी परिभाषा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (88) में दी हुई है;
- नन. "अनुसूची" का अर्थ है - इन विनियमों के साथ लगी अनुसूची;
- पप. "न्यास" (ट्रस्ट) का अर्थ है - इन विनियमों के दायरे में आने वाली कोई स्कीम कार्यान्वित करने के लिए, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) (जिसमें उसका कोई कानूनी संशोधन या उसकी पुनःअधिनियमिति शामिल है) के प्रावधानों के तहत बनाया गया न्यास;
- फफ. "न्यासी" (ट्रस्टी) का अर्थ है - न्यास का न्यासी;
- बब. "मूल्यांकक" (वैल्यूअर) का अर्थ है - ज्ञान या बौद्धिक संपदा अधिकारों या वैल्यू एडिशन का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त किया गया कोई स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट या मर्चेन्ट बैंकर;
- भभ. "अधिकार मिलने" का अर्थ है - वह प्रक्रिया, जिसके जरिए कर्मचारी को किसी भी स्कीम के तहत उसे दिए गए ग्रांट का फायदा प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है;
- मम. "अधिकार मिलने की अवधि" का अर्थ है - वह अवधि, जिसके दौरान किसी भी स्कीम के तहत प्रदान किया गया विकल्प, एसएआर या फायदा मिल जाता है।

- (2) इन विनियमों में उपयोग किए गए तथा अपरिभाषित किंतु अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) और उनके किसी कानूनी संशोधन या उनकी पुनःअधिनियमिति में परिभाषित शब्दों आदि के वही अर्थ होंगे, जो उन कानूनी प्रावधानों में क्रमशः उनके लिए दिए हुए हैं।

अध्याय-II

स्कीमें – कार्यान्वयन और प्रक्रिया

3. न्यास के माध्यम से स्कीमों का कार्यान्वयन

- (1) कंपनी, या तो प्रत्यक्ष रूप से या स्थायी न्यास (ट्रस्ट) बनाकर, स्कीम (स्कीमें) कार्यान्वित कर सकेगी:

परंतु यह कि यदि स्कीम न्यास के माध्यम से कार्यान्वित की जानी हो, तो उसका निर्णय स्कीम (स्कीमें) बनाने के संबंध में शेयरधारकों की मंजूरी लेते समय पहले ही लेना होगा:

परंतु यह और कि यदि मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार ऐसा करना जरूरी हो, तो कंपनी स्कीम के कार्यान्वयन का तरीका बदल सकेगी, बशर्ते कि ऐसे बदलाव को अमल में लाने से पहले विशेष संकल्प के जरिए शेयरधारकों की फिर से मंजूरी ले ली जाए, और, बशर्ते कि इस प्रकार किया जाने वाला बदलाव कर्मचारियों के हित को नुकसान पहुँचाने वाला न हो:

परंतु यह और कि यदि स्कीम (स्कीमों) में द्वितीयक बाजार से खरीदना या दान (गिफ्ट) या दोनों ही शामिल हों, तो ऐसे में कंपनी के लिए यह जरूरी होगा कि वह ऐसी स्कीम (स्कीमें) न्यास (न्यासों) के जरिए कार्यान्वित करे।

- (2) कंपनी एक ही न्यास के जरिए कई स्कीमें (जैसी इन विनियमों के तहत अनुमति है) कार्यान्वित कर सकेगी:

परंतु यह कि ऐसा एक ही न्यास प्रत्येक स्कीम के संबंध में, समुचित लेखा-बहियाँ, रिकॉर्ड और दस्तावेज रखेगा, ताकि उसके लेनदेनों में स्पष्टता रहे और किसी भी समय प्रत्येक स्कीम की वित्तीय स्थिति पता चल सके और खासकर प्रत्येक स्कीम के कामकाज की स्थिति की सही-सही तस्वीर बयान हो सके।

- (3) जिस न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) के तहत न्यास बनाया जाता है, उसके अंतर्गत इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग-क में दिए हुए प्रावधान शामिल किए जाएँगे, और ऐसे न्यास विलेख तथा उसमें हुए संशोधनों को भारत के उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास दाखिल करना जरूरी होगा, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों।

- (4) किसी व्यक्ति को न्यास के न्यासी (ट्रस्टी) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उन मामलों में नहीं किया जा सकता, जहाँ वह -

- i. कंपनी अथवा उसकी समूह कंपनी [जिसमें उसकी नियंत्रि (धारिता / होल्डिंग), समनुषंगी (सब्सिडियरी) या

सहयोगी कंपनी शामिल है] का निदेशक, उसके प्रबंध-मंडल का मुख्य व्यक्ति या उसका संप्रवर्तक (प्रोमोटर) हो अथवा ऐसे निदेशक, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति या संप्रवर्तक का कोई नातेदार हो; या

- ii. कंपनी की समादत्त शेयर पूँजी (पेड-अप शेयर कैपिटल) या मताधिकारों का दस प्रतिशत या उससे अधिक धारण करता हो:

परंतु यह कि जहाँ व्यक्ति (व्यक्तियों) या एक व्यक्ति वाली कंपनी (जिसकी परिभाषा "एक व्यक्ति कंपनी" के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 में दी हुई है) को न्यासी (न्यासियों) के रूप में नियुक्त किया जाए वहाँ ऐसे कम से कम दो न्यासी होंगे, और यदि किसी कारपोरेट एंटीटी को न्यासी के रूप में नियुक्त किया जाए, तो वह एकमात्र न्यासी हो सकेगी।

- (5) जो न्यास इन विनियमों के तहत विनियमित है, उसके न्यासी ऐसे न्यास के पास पड़े शेयरों के संबंध में मतदान नहीं करेंगे, ताकि ऐसे मताधिकारों का प्रयोग करने की वजह से किसी भी तरह के दुरुपयोग से बचा जा सके।
- (6) न्यासी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनी द्वारा शेयरधारकों से अपेक्षित मंजूरी ले ली जाए, ताकि न्यास स्कीम (स्कीमों) कार्यान्वित कर पाए और स्कीम (स्कीमों) के प्रयोजनार्थ द्वितीयक बाजार से खरीद पाए।
- (7) न्यास व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) में लेनदेन नहीं करेगा, और द्वितीयक बाजार से खरीद हेतु लेनदेन तभी करेगा, जब डिलीवरी मिल रही हो (जैसी इन विनियमों के अनुसार अनुमति है)।
- (8) कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (समय-समय पर यथा संशोधित), जो भी लागू हो, की अपेक्षाओं के तहत, कंपनी न्यास को, स्कीम (स्कीमों) शुरू करने के उद्देश्य से, या तो नए इश्यू के जरिए या फिर द्वितीयक बाजार से खरीदकर शेयर अर्जित करने के लिए, उपयुक्त शर्तों आदि पर पैसा उधार दे सकेगी।
- (9) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को प्रकटीकरण करने के लिए, न्यास की शेयरधारिता (शेयरहोल्डिंग) को 'गैर-संप्रवर्तक (नॉन-प्रोमोटर) तथा असार्वजनिक (नॉन-पब्लिक)' शेयरधारिता के रूप में दिखाया जाएगा।

स्पष्टीकरण: न्यास के पास पड़े शेयर सार्वजनिक शेयरधारिता (पब्लिक शेयरहोल्डिंग) [जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के अनुसार कम से कम पच्चीस प्रतिशत रखी जानी जरूरी है] का हिस्सा नहीं होंगे।

- (10) एक वित्तीय वर्ष में न्यास द्वारा द्वितीयक बाजार के जरिए की जाने वाली खरीद पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक की स्थिति के अनुसार कंपनी की समादत्त इक्विटी पूँजी के दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (11) न्यास द्वारा द्वितीयक बाजार से खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या किसी भी समय उस वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक की स्थिति के अनुसार कंपनी की समादत्त इक्विटी पूँजी के प्रतिशत के रूप में नीचे निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं होगी, जिस वर्ष में शेयरधारकों की मंजूरी इस प्रकार द्वितीयक बाजार के जरिए की जाने वाली खरीद हेतु ली जाती है:

क्र. सं.	विवरण	सीमा
क	उन स्कीमों के संबंध में, जिनका जिक्र इन विनियमों के अध्याय-III के भाग-क, भाग-ख या भाग-ग में किया गया है	5%
ख	उन स्कीमों के संबंध में, जिनका जिक्र इन विनियमों के अध्याय-III के भाग-घ या भाग-ङ में किया गया है	2%
ग	सभी स्कीमों के संबंध में, कुल मिलाकर	5%

स्पष्टीकरण 1, - उपरोक्त सीमाओं की गणना करते समय कंपनी की बढ़ी या घटी पूँजी अपने आप हिसाब में आ जाएगी, जहाँ ऐसी बढ़ोतरी या कमी कंपनी कार्रवाई (कार्रवाईयों) (कारपोरेट एक्शन) [जिसमें बोनस शेयर जारी करना, विभाजन (स्प्लिट) करना, साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) लाना, बाय-बैक करना, इंतजाम की स्कीम शामिल है] के कारण हुई हो।

स्पष्टीकरण 2, - यदि कंपनी के कई न्यास और स्कीमों हों, तो उपरोक्त अधिकतम सीमा कंपनी स्तर पर कुल मिलाकर ऐसे सभी न्यासों और स्कीमों के संबंध में लागू होगी, न कि किसी एक न्यास या स्कीम के स्तर पर।

स्पष्टीकरण 3, - उपरोक्त अधिकतम सीमा वहाँ लागू नहीं होगी, जहाँ शेयर नए इश्यू के जरिए अथवा संप्रवर्तक या संप्रवर्तक समूह या अन्य शेयरधारकों से मिले दान (गिफ्ट) के रूप में न्यास को आबंटित किए गए हों।

स्पष्टीकरण 4, - जहाँ किसी स्कीम के तहत प्रदान किए गए विकल्प, शेयर या एसएआर उन शेयरों की संख्या से अधिक हो जाएं जिन्हें न्यास द्वितीयक बाजार (सेकंडरी मार्केट) के जरिए खरीदकर अर्जित कर सकेगा, वहाँ शेयरों की ऐसी कमी कंपनी द्वारा, लागू कानूनी प्रावधानों के तहत शेयरों के नए इश्यू से संबंधित प्रावधानों के अनुसार, न्यास को नए शेयर जारी करके पूरी की जाएगी।

- (12) इन विनियमों के अध्याय-III के भाग-क, भाग-ख या भाग-ग के तहत न्यास द्वारा द्वितीयक बाजार (सेकंडरी मार्केट) के माध्यम से अर्जित शेयरों, जो ग्रान्टों से समर्थित न हों, की अविनियोजित इन्वेंटरी को उचित अवधि, जो बाद के वित्तीय वर्ष या बाद के दूसरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगे नहीं बढ़ेगी, के भीतर विनियोजित किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसी अवधि को बाद के दूसरे वित्तीय वर्ष तक बढ़ाए जाने के संबंध में प्रतिकर समिति / नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की मंजूरी लेनी होगी।
- (13) न्यास के लिए यह जरूरी होगा कि वह द्वितीयक बाजार (सेकंडरी मार्केट) के जरिए खरीदे गए शेयर कम से कम छह महीनों की अवधि तक रखे, किंतु ऐसा वहाँ जरूरी नहीं होगा जहाँ उन्हें उप-विनियम (14) के खंड (ख) में बताई गई परिस्थितियों में अंतरित (ट्रांसफर) किया जाना जरूरी हो, फिर चाहे ऐसा बाजार से परे (ऑफ-मार्केट) किया जाए या फिर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर।
- (14) न्यास को केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में ही शेयरों का बाजार से परे (ऑफ-मार्केट) अंतरण (ट्रांसफर) करने की अनुमति होगी :
- (क) स्कीम (स्कीमों) के अनुसरण में कर्मचारियों को अंतरण;
- (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के तहत लाए जाने वाले खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर) में हिस्सा लेते समय, अथवा कंपनी द्वारा आम तौर पर उसके शेयरधारकों के लिए लाए जाने वाले बाय-बैक (क्रय द्वारा वापस लेने), असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) या निकास (एग्जिट) से संबंधित किसी अन्य प्रस्ताव में हिस्सा लेते समय।
- (15) न्यास शेयरों में ट्रेडिंग करने का जरिया नहीं बनेगा, और इसीलिए वह द्वितीयक बाजार में शेयर निम्नलिखित परिस्थितियों में ही बेचेगा, अन्यथा नहीं:
- (क) कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के तहत प्रदान किए गए विकल्पों का प्रयोग करने के अनुसरण में, कर्मचारी को अधिकार के प्रयोग हेतु देय कीमत अदा करने के लिए, उसकी कर संबंधी देनदारी और दूसरे संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए जरूरी रकम देने हेतु;
- (ख) इन विनियमों के अध्याय-III के भाग-ग में दी हुई स्कीम के तहत एसएआर के, यथास्थिति, अधिकार मिलने या अधिकार का प्रयोग करने के लिए;
- (ग) इन विनियमों के अध्याय-III के भाग-घ तथा भाग-ङ में दी हुई स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए आपात स्थिति के मामले में, और इसके लिए –
- i. न्यासी ऐसी बिक्री के कारण दर्ज करेगा (करेंगे); और
- ii. इस प्रकार शेयरों की बिक्री करने से मिले पैसे का इस्तेमाल स्कीम या न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) में दी हुई निश्चित समयावधि के भीतर किया जाएगा।
- (घ) कंपनी द्वारा आम तौर पर उसके शेयरधारकों के लिए लाए जाने वाले बाय-बैक (क्रय द्वारा वापस लेने) या खुले प्रस्ताव या असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) का प्रस्ताव या निकास (एग्जिट) से संबंधित किसी अन्य प्रस्ताव में हिस्सा लेने के लिए;
- (ङ) उधार चुकाने के लिए, यदि न्यास द्वारा धारित शेयरों की अविनियोजित इन्वेंटरी उप-विनियम (12) के तहत यथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर विनियोजित नहीं की जाती है।
- (च) स्कीम (स्कीमों) का परिसमापन (को वाइंड-अप) करने के लिए; और
- (छ) इन विनियमों के अध्याय-III के भाग-क या भाग-ख या भाग-ग में दी हुई स्कीमों के संबंध में आवेदक को बोर्ड

द्वारा, ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में दर्ज किए जाएं, प्रदान की गई मंजूरी के आधार पर, आवेदन के साथ बोर्ड को एक लाख रुपये की फीस (लौटाई न जाने वाली) बैंक खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के जरिए या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से सीधे जमा करके अदा करने पर।

- (16) न्यास के लिए यह जरूरी होगा कि वह प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र) करे तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 अथवा उसके किसी कानूनी संशोधन या उसकी पुनःअधिनियमित के तहत अंतरंग व्यक्तियों (इनसाइडर) या संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) के लिए लागू अन्य अपेक्षाओं का पालन करे।

4. पात्रता

कोई कर्मचारी कंपनी की स्कीमों में हिस्सा लेने का पात्र होगा, जैसा प्रतिकर समिति द्वारा तय किया जाए।

स्पष्टीकरण,- जहाँ ऐसा कर्मचारी किसी संस्था द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में उसके प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया निदेशक हो, वहाँ -

- (i) अपने कर्मचारी को कंपनी के निदेशक के रूप में नामित करने वाली संस्था और इस प्रकार नियुक्त किए जाने वाले निदेशक के बीच होने वाले कॉन्ट्रैक्ट या करार (एग्रीमेंट) में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, निम्नलिखित का उल्लेख होगा:
 - (क) यह कि क्या कंपनी द्वारा उसकी स्कीम (स्कीमों) के तहत दिए जाने वाले ग्रान्ट उस कर्मचारी द्वारा कंपनी के निदेशक की हैसियत से स्वीकार किए जा सकते हैं;
 - (ख) यह कि यदि निदेशक को ग्रान्ट दिया गया हो, तो उस ग्रान्ट का त्याग नामित करने वाली संस्था के पक्ष में नहीं किया जाएगा; और
 - (ग) वे शर्तें, जिनके तहत फीस, कमीशन, अन्य प्रोत्साहन, आदि निदेशक द्वारा कंपनी से स्वीकारे जा सकते हैं।
- (ii) अपने कर्मचारी को कंपनी के निदेशक के रूप में नामित करने वाली संस्था उस कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट या करार की एक प्रति दाखिल करेगी, जो फिर, उसे उन सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल करेगी जहाँ उसके शेयर सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों।
- (iii) इस प्रकार नियुक्त किया गया निदेशक अपना नामांकन होने के बाद जब पहली बार कंपनी के बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेगा, तो उस बैठक में कॉन्ट्रैक्ट या करार की प्रति प्रस्तुत करेगा।

5. प्रतिकर समिति

- (1) कंपनी स्कीमों के प्रबंधन हेतु और उन पर नज़र रखने के लिए प्रतिकर समिति का गठन करेगी:

परंतु यह कि जहाँ स्कीम न्यास के जरिए कार्यान्वित की जा रही हो, वहाँ प्रतिकर समिति ऐसी स्कीम (स्कीमों) का प्रबंधन न्यास को सौंपेगी।

- (2) प्रतिकर समिति कंपनी के निदेशक मंडल के ऐसे सदस्यों की समिति होगी, जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) के विनियम 19 में उल्लेख किया गया है:

परंतु यह कि कंपनी अपनी नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को भी इन विनियमों के प्रयोजनार्थ प्रतिकर समिति के रूप में नामित कर सकेगी।

- (3) प्रतिकर समिति, *अन्य बातों के साथ-साथ*, विस्तार से स्कीमों की शर्तें आदि निर्धारित करेगी, जिनके अंतर्गत इन विनियमों की अनुसूची-1 के भाग-ख में दिए हुए प्रावधान शामिल किए जाएंगे।

- (4) प्रतिकर समिति यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नीतियाँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित करेगी कि न्यास, कंपनी और उसके कर्मचारियों (जो लागू हों) द्वारा प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों, जिनमें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेग्यूलेशन, 2015] तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अशुद्ध व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ रिलेटिंग टू द सिक्यूरिटीज़ मार्केट) रेग्यूलेशन, 2003] (समय-समय पर यथा संशोधित)

शामिल हैं, का कोई भी उल्लंघन न हो।

6. शेयरधारकों की मंजूरी

- (1) किसी भी स्कीम का प्रस्ताव कंपनी के कर्मचारियों को तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि कंपनी के शेयरधारक उसके संबंध में साधारण बैठक में विशेष संकल्प (स्पेशल रेजोल्यूशन) पारित करके मंजूरी नहीं दे देते।
- (2) स्कीमों के संबंध में नोटिस (सूचना) के व्याख्यात्मक विवरण और शेयरधारकों द्वारा पारित किए जाने हेतु प्रस्तावित संकल्प (रेजोल्यूशन) के अंतर्गत वह जानकारी शामिल की जाएगी, जो इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग-ग में बताई हुई है या जो बोर्ड द्वारा किसी अन्य प्रकार से बताई जाए।
- (3) साधारण बैठक में एक अलग संकल्प (रेजोल्यूशन) के रूप में शेयरधारकों की मंजूरी कंपनी द्वारा इन मामलों में ली जाएगी:
 - (क) स्कीमों में कार्यान्वित करने के लिए द्वितीयक बाजार (सेकंडरी मार्केट) से खरीदने के मामले में;

स्पष्टीकरण, - इस खंड के प्रयोजनार्थ, ऐसी मंजूरी में यह उल्लेख होगा कि द्वितीयक बाजार से कितना प्रतिशत खरीदा जा सकता है (इन विनियमों में निर्धारित की गई सीमाओं के तहत);
 - (ख) न्यास द्वारा द्वितीयक बाजार (सेकंडरी मार्केट) से खरीदने के मामले में, यदि कंपनी द्वारा पूँजी में की गई बढ़ोतरी, जिसमें शेयरों का अधिमानी आबंटन (प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट) या अर्हित संस्था नियोजन (क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन्स प्लेसमेंट) शामिल है, के कारण शेयर पूँजी बढ़ जाती है, ताकि कंपनी की ऐसी बड़ी हुई पूँजी की पाँच प्रतिशत की सीमा (कैप), इन विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (11) के अनुसार, बनी रहे;
 - (ग) समनुषंगी (सब्सिडियरी) या नियंत्रि (धारिता / होल्डिंग) कंपनी के कर्मचारियों को, यथास्थिति, विकल्प, एसएआर, शेयर या अन्य फायदे प्रदान करने (ग्रान्ट करने) के मामले में;
 - (घ) किसी एक वर्ष के दौरान, यथास्थिति, विकल्प, एसएआर, शेयर या फायदे, निर्धारित कर्मचारियों को, यथास्थिति, विकल्प, एसएआर, शेयरों या प्रोत्साहन प्रदान (ग्रान्ट) किए जाने के समय कंपनी की निर्गमित पूँजी (इश्यूड कैपिटल) [बकाया वारंटों और संपरिवर्तनों (कनवर्जन) को छोड़कर] के एक प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक, प्रदान करने (ग्रान्ट करने) के मामले में।

7. स्कीमों की शर्तों आदि में बदलाव

- (1) जिन स्कीमों का प्रस्ताव जनरल बाँडी में पहले पारित किए गए संकल्प के अनुसार किया गया हो, किंतु उनके संबंध में कर्मचारी द्वारा अधिकार का प्रयोग अभी न किया गया हो, तो ऐसे में कंपनी उन स्कीमों की शर्तों आदि में बदलाव उसके शेयरधारकों से विशेष संकल्प पारित करवाकर कर सकेगी, बशर्ते कि इस प्रकार किया जाने वाला बदलाव कर्मचारियों के हित को नुकसान पहुँचाने वाला न हो।
- (2) उन-विनियम (1) के प्रावधानों के होते हुए भी, कंपनी किसी विनियामक अपेक्षा को पूरा करने के लिए स्कीमों की शर्तों आदि में बदलाव करने की हकदार होगी, और जिसके लिए शेयरधारकों से विशेष संकल्प पारित करवाकर मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।
- (3) इन विनियमों के विनियम 6 के प्रावधान शर्तों आदि में किए जाने वाले ऐसे बदलाव पर लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, विकल्प, एसएआर, शेयरों या अन्य फायदों को आरंभ में प्रदान किए जाने के प्रति लागू होते हैं।
- (4) स्कीमों की शर्तों आदि में बदलाव के लिए विशेष संकल्प पारित करवाने हेतु जारी की जाने वाली सूचना (नोटिस) में किए जाने वाले बदलाव के पूरे ब्यौरे, उसका औचित्य, और उन कर्मचारियों के ब्यौरे दिए जाएंगे जो इस प्रकार किए जाने वाले बदलाव से फायदा पाते हों (के बेनीफिशियरीज़ हों)।
- (5) यदि स्कीमों में स्टॉक बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट के कारण आकर्षक न रह गई हों, तो ऐसे में कंपनी, यथास्थिति, उन विकल्पों, एसएआर या शेयरों का पुनः कीमत-निर्धारण कर सकेगी, जिनके संबंध में अधिकार का प्रयोग न हुआ हो, फिर चाहे वे मिले हों या न मिले हों:

परंतु यह कि कंपनी यह सुनिश्चित करे कि ऐसे पुनः कीमत-निर्धारण से कर्मचारियों के हित को नुकसान नहीं पहुँचेगा,

और ऐसे पुनः कीमत-निर्धारण के संबंध में विशेष संकल्प पारित करवाकर शेयरधारकों की मंजूरी ले ली गई हो।

8. स्कीमों का परिसमापन (वाइडिंग-अप)

कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के परिसमापन (को वाइड-अप किए जाने) के मामले में, सभी बाध्यताओं को पूरा करने के बाद न्यास के पास बची अतिरिक्त धनराशि या शेयरों (यदि कोई हों) का इस्तेमाल उधार चुकाने के लिए या कर्मचारियों में बाँटने के लिए किया जाएगा, या फिर शेयरधारकों की मंजूरी लेकर, इन विनियमों के तहत लाई गई किसी दूसरी स्कीम में अंतरित (ट्रांसफर) किया जाएगा, जैसी प्रतिकर समिति द्वारा सिफारिश की जाए।

9. अंतरण न किए जा सकने का प्रावधान (नॉन-ट्रांसफरेबिलिटी)

- (1) विनियमों के तहत कर्मचारी को प्रदान किए गए विकल्प, एसएआर या किसी अन्य फायदे का अंतरण (ट्रांसफर) किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकेगा।
- (2) जिस कर्मचारी को विकल्प, एसएआर या अन्य फायदा प्रदान किया जाता है, उसे छोड़कर कोई भी व्यक्ति ऐसे विकल्प, एसएआर के कारण मिलने वाला फायदा या कोई अन्य फायदा पाने का हकदार नहीं होगा:

परंतु यह कि कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम या एसएआर के मामले में, लागू कानूनी प्रावधानों के तहत, कंपनी या न्यासी, कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम या एसएआर के तहत प्रदान किए गए विकल्पों का प्रयोग करने के अनुसरण में, कर्मचारी को अधिकार के प्रयोग हेतु देय कीमत उसकी कर संबंधी देनदारी और दूसरे संबंधित शर्तों को पूरा करने के लिए जरूरी रकम दे सकेगा या सूची में शामिल स्टॉक दलालों (स्टॉक ब्रोकर) को पैसा देने के उचित इंतजाम करने की अनुमति दे सकेगा, और ऐसी स्कीम जो ऐसे कर्मचारी के कुछ या सभी शेयरों को बेचने से मिले पैसे (सेल प्रोसीड्स) से समायोजित कर ली जाएगी।

- (3) कर्मचारी को प्रदान किए गए विकल्प, एसएआर या किसी अन्य फायदे को गिरवी आदि, बंधक या किसी भी अन्य प्रकार से उसका हस्तांतरण आदि नहीं किया जाएगा।
- (4) यदि कार्यकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाए, तो ऐसे में उसकी मृत्यु होने तक उसे स्कीम के तहत प्रदान किए गए सभी विकल्प, एसएआर या कोई अन्य फायदे मृत कर्मचारी के, यथास्थिति, कानूनी वारिसों या उसके नामितियों (नॉमिनी) को, उसकी मृत्यु होने की तारीख से ही मिल जाएंगे।
- (5) यदि कर्मचारी कार्यकाल के दौरान स्थायी रूप से असमर्थ हो जाए, तो ऐसे में स्थायी रूप से असमर्थ हो जाने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार स्कीम के तहत उसे प्रदान किए गए सभी विकल्प, एसएआर या कोई अन्य फायदे उस दिन उसे मिल जाएंगे।
- (6) कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र दिए जाने या उसे हटाए जाने की दशा में, वे सभी विकल्प, एसएआर या ऐसे कोई अन्य फायदे, जो प्रदान तो किए गए हों किंतु उस दिन तक की स्थिति के अनुसार मिले न हों, समाप्त हो जाएंगे:

परंतु यह कि कर्मचारी, इन विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (3) के तहत प्रतिकर समिति द्वारा निर्धारित की गई शर्तों आदि के तहत, इन विनियमों के दायरे में आने वाले सभी मिले विकल्पों, एसएआर या किसी अन्य फायदे को रखे रहने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण, - यदि किसी कर्मचारी का सेवाकाल सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता की आयु पूरी हो जाने की वजह से समाप्त हो रहा हो, तो वह इस उप-विनियम के दायरे में नहीं आएगा, और कर्मचारी को प्रदान किए गए ऐसे विकल्प, एसएआर या कोई अन्य फायदे, उसे कंपनी की नीतियों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति हो जाने या अधिवर्षिता की आयु पूरी हो जाने के बाद भी, उसी प्रकार उन्हीं तारीखों को मिलते रहेंगे जो पहले से बताई गई हों।

- (7) यदि किसी कर्मचारी को स्कीम के तहत फायदे प्रदान किए गए हों, किंतु उसे अधिकार मिलने से पहले या उसके द्वारा अधिकार का प्रयोग किए जाने से पहले ही उसका किसी सहयोगी (असोसिएट) कंपनी में तबादला हो जाए या वहाँ उसकी प्रतिनियुक्ति हो जाए, तो इस प्रकार तबादला या प्रतिनियुक्ति होने के बाद भी ऐसे कर्मचारी के मामले में ग्रान्ट की शर्तों आदि के अनुसार अधिकार मिलने और अधिकार का प्रयोग करने की प्रक्रिया जारी रहेगी।
- (8) यदि किसी कर्मचारी को स्कीम के तहत फायदे प्रदान किए गए हों, और उसका तबादला किसी इंतजाम की स्कीम, समामेलन, विलय या अविलयन के अनुसरण में हो जाता हो या वह मौजूदा कंपनी में ही कार्यरत रहता है, तो अधिकार मिलने या अधिकार का प्रयोग किए जाने से पहले, ऐसे मामले में विकल्पों के प्रयोग आदि के संबंध में ऐसी इंतजाम की स्कीम, समामेलन, विलय या अविलयन में जिक्र किया जाएगा बशर्ते कि ऐसा करना कर्मचारी के हित के प्रतिकूल न हो।

10. सूचीबद्धता

यदि किसी स्कीम के तहत शेयरों का नया इश्यू लाया जाता है, तो इस प्रकार जारी किए गए शेयरों को, निम्नलिखित शर्तों के तहत, ऐसे सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में तुरंत सूचीबद्ध (लिस्ट) कराया जाएगा जहाँ मौजूदा शेयर सूचीबद्ध हों :

- (क) स्कीम के संबंध में इन विनियमों का पालन किया जाए;
- (ख) एक विवरण (जैसा इन विनियमों की अनुसूची-1 के भाग-घ में उल्लेख किया गया है) दाखिल किया जाए, और कंपनी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से सैद्धांतिक मंजूरी ले ले;
- (ग) जब भी अधिकार का प्रयोग किया जाए, तब कंपनी उसकी सूचना विवरण (जैसा इन विनियमों की अनुसूची-1 के भाग-ड में उल्लेख किया गया है) के अनुसार संबंधित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को दे ।

11. असूचीगत (अनलिस्टिड) कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमें

असूचीगत (अनलिस्टिड) कंपनी के आईपीओ के बाद, उसके आईपीओ से पूर्व किसी स्कीम के तहत कर्मचारियों को प्रदान किए गए विकल्पों या एसएआर का प्रयोग करने पर मिलने वाले शेयरों को, अधिकार का प्रयोग किए जाने पर तुरंत उन सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराया जाएगा जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हों, बशर्ते कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का और जहाँ कहीं भी लागू हो, वहाँ इन विनियमों के विनियम 12 के उप-विनियम (1) का पालन किया जाए ।

12. पालन और शर्तें

- (1) कोई भी कंपनी तब तक ऐसा कोई नया ग्रांट नहीं देगी, जिसमें उसके आईपीओ से पहले और उसके इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) से पहले बनाई गई किसी स्कीम ('आईपीओ से पहले की स्कीम') के तहत उसके कर्मचारियों को किया जाने वाला शेयरों का आबंटन या अंतरण (ट्रांसफर) शामिल हो, जब तक कि :
 - (i) आईपीओ से पहले की ऐसी स्कीम इन विनियमों के अनुरूप न हो; और
 - (ii) आईपीओ से पहले की ऐसी स्कीम आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आने के बाद उसके शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थित न हो:

परंतु यह कि खंड (ii) के तहत अनुसमर्थन आईपीओ से पहले की स्कीम के तहत नए विकल्पों या शेयरों या एसएआर प्रदान किए जाने से पहले किसी भी समय दिया जा सकेगा ।
- (2) आईपीओ से पहले की ऐसी स्कीमों के तहत जारी किए गए विकल्पों या शेयरों या एसएआर की शर्तों आदि में कोई भी बदलाव, चाहे पुनः कीमत-निर्धारण के कारण हो, अधिकार मिलने की अवधि या परिपक्वता (मैच्यूरिटी) में बदलाव हो या अन्य किसी प्रकार का बदलाव हो, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे बदलाव के संबंध में शेयरधारकों की पूर्व मंजूरी (विशेष संकल्प के माध्यम से) न ले ली जाए, हालाँकि इन विनियमों के अनुसार की गई कंपनी कार्रवाईयों (कारपोरेट एक्शनस) के संबंध में कोई समायोजन करने के लिए ऐसा किया जा सकेगा ।
- (3) कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम, कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम या एसएआर के अनुसरण में जारी किए गए शेयरों को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराने के लिए, कंपनी, विकल्प या एसएआर प्रदान करने से पहले, उन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की सैद्धांतिक मंजूरी लेगी जहाँ उसका उन शेयरों को सूचीबद्ध करवाने का प्रस्ताव हो ।
- (4) जब नियंत्रि (धारिता / होल्डिंग) कंपनी अपनी समनुषंगी (सब्सिडियरी) के कर्मचारियों को विकल्प, शेयर, एसएआर या फायदे जारी करती है, तो ऐसे में नियंत्रि कंपनी द्वारा ऐसे विकल्प, शेयर, एसएआर या फायदे जारी करने हेतु किए गए खर्च की जानकारी समनुषंगी कंपनी के वित्तीय विवरणों में ('लेखों के प्रति टिप्पणियों' में) दी जाएगी ।
- (5) उप-विनियम (4) के तहत आने वाले किसी मामले में, यदि कोई समनुषंगी नियंत्रि कंपनी द्वारा समनुषंगी के कर्मचारियों को विकल्प, शेयर एसएआर या फायदे प्रदान करने के संबंध में किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करती है, तो ऐसे में समनुषंगी और नियंत्रि कंपनी दोनों ही अपने वित्तीय विवरणों में ('लेखों के प्रति टिप्पणियों' में), यथास्थिति, भुगतान या प्राप्ति की जानकारी देंगी ।
- (6) कंपनी, इन विनियमों के विनियम 10 के खंड (ख) के अनुसार मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से सैद्धांतिक मंजूरी लिए

जाने तक, इन विनियमों के दायरे में आने वाली स्कीमों के कार्यान्वयन के संबंध में मर्चेन्ट बैंकर को नियुक्त करेगी।

13. लेखापरीक्षकों (ऑडिटर) का प्रमाणपत्र

ऐसी प्रत्येक कंपनी के मामले में जिसने इन विनियमों के तहत स्कीम (स्कीमों) के संबंध में संकल्प पारित किया हो, निदेशक मंडल प्रत्येक वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के समक्ष कंपनी के सेक्रेटेरियल ऑडिटरों का प्रमाणपत्र रखेगा कि स्कीम (स्कीमों) इन विनियमों के अनुसार और साधारण बैठक में पारित किए गए कंपनी के संकल्प (रेजोल्यूशन) के अनुसार कार्यान्वित की गई है (हैं)।

14. प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र)

जो जानकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत कर्मचारी फायदों के संबंध में प्रकट की जानी जरूरी है, उसके अलावा ऐसी कंपनी का निदेशक मंडल कार्यान्वित की जा रही स्कीम (स्कीमों) के ब्यौरे भी प्रकट करेगा, जैसा इन विनियमों की अनुसूची-1 के भाग-च में उल्लेख किया गया है।

15. लेखा नीतियाँ

कोई भी शेयर आधारित स्कीमों कार्यान्वित करने वाली कोई कंपनी अपेक्षाओं का पालन करेगी, जिनमें कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 133 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लेखा मानकों (आकउण्टिंग स्टैण्डर्ड्स) के अनुसार प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) संबंधी अपेक्षाओं का पालन करना और इस संबंध में समय-समय पर 'कर्मचारी शेयर आधारित भुगतानों के संबंध में जारी किए जाने वाले लेखों संबंधी गाइडेंस नोट का पालन करना भी शामिल है।

अध्याय-III

निर्धारित स्कीमों का प्रबंधन

भाग-क: कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम

16. प्रबंधन और कार्यान्वयन

- (1) इन विनियमों के प्रावधानों के तहत, कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम में ये ब्यौरे दिए जाएँगे कि स्कीम कैसे शुरू की जाएगी और कैसे चलाई जाएगी।
- (2) किसी भी कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम का प्रस्ताव तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि कंपनी द्वारा भावी ऑप्शन ग्रांटी (विकल्प पाने वालों) को इन विनियमों की अनुसूची-1 के भाग-छ के अनुसार प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) न कर दिए जाएँ।

17. कीमत-निर्धारण

कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के अनुसरण में अपने कर्मचारियों को विकल्प प्रदान करने वाली कंपनी को, 'अधिकार के प्रयोग हेतु देय कीमत' तय करने की स्वतंत्रता होगी, बशर्ते कि ऐसा इन विनियमों के विनियम 15 में निर्धारित की गई लेखा नीतियों के अनुरूप किया जाए।

18. अधिकार मिलने की अवधि

- (1) कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के मामले में कम से कम एक वर्ष की 'अधिकार मिलने की अवधि' होगी:

परंतु यह कि जहाँ विकल्प कंपनी द्वारा कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के तहत, ऐसी किसी दूसरी कंपनी में कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के तहत किसी कर्मचारी को मिले विकल्पों (ऑप्शन) के बदले प्रदान किए जा रहे हों जिसका पहले उल्लिखित कंपनी में विलय (मर्जर) या अविलय (डीमर्जर) या इंतजाम या समामेलन हो गया हो, तो ऐसे में जिस अवधि के दौरान अंतरक (ट्रांसफरर) कंपनी द्वारा प्रदान किए गए विकल्प ऐसे कर्मचारी के पास थे उस अवधि को इस उप-विनियम के तहत अपेक्षित न्यूनतम 'अधिकार मिलने की अवधि' के प्रति समायोजित किया जाएगा:

परंतु यह और कि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर या उसके स्थायी रूप से असमर्थ हो जाने की दशा में, कम से कम एक वर्ष की 'अधिकार मिलने की अवधि' लागू नहीं होगी, और ऐसे मामलों में, इन विनियमों के विनियम 9 के उप-विनियम (4) के अनुसार, मृत्यु हो जाने या स्थायी रूप से असमर्थ हो जाने की तारीख को विकल्प के अधिकार मिल जाएँगे।

स्पष्टीकरण, - कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम का कार्यान्वयन करने वाली कंपनी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने या उसके

स्थायी रूप से असमर्थ हो जाने के संबंध में एक उपयुक्त नीति बनाएगी, बशर्ते कि लागू कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाए।

- (2) कंपनी विकल्प के तहत अधिकार के प्रयोग के अनुसरण में जारी किए जाने वाले शेयरों के लिए लॉक-इन की अवधि निर्धारित कर सकेगी।

19. विकल्प धारक के अधिकार

कर्मचारी को, उसे प्रदान किए गए विकल्प के संबंध में कोई लाभांश प्राप्त करने या मतदान करने या शेयरधारक के लिए उपलब्ध किसी भी प्रकार से फायदे पाने का अधिकार तब तक नहीं होगा, जब तक विकल्प के तहत अधिकार का प्रयोग करने पर उसे शेयर जारी नहीं कर दिए जाते।

20. विकल्प का प्रयोग न करने का परिणाम

विकल्प प्रदान करने, उसके तहत अधिकार मिलने या अधिकार का प्रयोग करने के समय कर्मचारी द्वारा अदा की गई रकम, यदि कोई हो, —

- (क) कंपनी द्वारा जब्त की जा सकेगी, यदि कर्मचारी द्वारा 'अधिकार के प्रयोग की अवधि' के भीतर विकल्प का प्रयोग न किया जाए; या
- (ख) कर्मचारी को लौटाई जा सकेगी, यदि कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के अनुसार विकल्प के तहत अधिकार मिलने से संबंधित शर्तें पूरी न हो पाने के कारण विकल्प नहीं मिलते।

भाग-ख : कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम

21. प्रबंधन और कार्यान्वयन

इन विनियमों के प्रावधानों के तहत, कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम में ये ब्यौरे दिए जाएंगे कि स्कीम कैसे कार्यान्वित की जाएगी और कैसे चलाई जाएगी।

22. कीमत-निर्धारण और लॉक-इन (अवरुद्धता)

- (1) कंपनी कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम के तहत जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत तय कर सकेगी, बशर्ते कि ऐसा इन विनियमों के विनियम 15 के तहत निर्धारित लेखा नीतियों के अनुरूप किया जाए।
- (2) कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम के तहत जारी किए गए शेयर आबंटन (अलॉटमेंट) की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि तक लॉक-इन रहेंगे :

परंतु यह कि जहाँ शेयर कंपनी द्वारा कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम के तहत, ऐसी किसी दूसरी कंपनी में कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम के तहत उसी व्यक्ति द्वारा अर्जित किए गए शेयरों के बदले, आबंटित किए जाएँ [जिसका पहले उल्लिखित कंपनी में विलय या समामेलन (अमैलगमेशन) हो गया हो], तो ऐसे में अंतरक (ट्रांसफर) कंपनी के शेयरों के संबंध में लॉक-इन की जितनी अवधि पहले ही पूरी हो चुकी हो उतनी अवधि को इस उप-विनियम के तहत अपेक्षित लॉक-इन की अवधि के प्रति समायोजित किया जाएगा:

परंतु यह और कि कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर या उसके स्थायी रूप से असमर्थ हो जाने की दशा में, लॉक-इन संबंधी अपेक्षा कर्मचारी की मृत्यु या उसके स्थायी रूप से असमर्थ हो जाने की तारीख से लागू नहीं होगी।

- (3) यदि कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) का हिस्सा हो और कर्मचारियों को शेयर उसी कीमत पर जारी किए जाएँ जो कीमत सार्वजनिक निर्गम लाते समय थी, तो ऐसे में कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम के अनुसरण में कर्मचारियों को जारी किए गए शेयरों के संबंध में लॉक-इन का प्रावधान लागू नहीं होगा।

भाग-ग : स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार स्कीम (एसएआर स्कीम)

23. प्रबंधन और कार्यान्वयन

- (1) इन विनियमों के प्रावधानों के तहत, एसएआर स्कीम में ये ब्यौरे दिए जाएंगे कि स्कीम कैसे कार्यान्वित की जाएगी और कैसे चलाई जाएगी।
- (2) इन विनियमों के प्रावधानों के तहत, कंपनी को ऐसी एसएआर स्कीम शुरू करने की स्वतंत्रता होगी, जिसके अंतर्गत निपटान (सैटलमेंट) नकद रूप में या इक्विटी देकर किया जा सकेगा:

परंतु यह कि ऐसी एसएआर स्कीम के मामले में जिसके अंतर्गत निपटान (सैटलमेंट) इक्विटी देकर किया जाए, यदि निपटान फ्रैक्शनल शेयरों में होता हो, तो ऐसे में फ्रैक्शनल शेयरों के लिए नकद भुगतान कर दिया जाएगा।

- (3) किसी भी एसएआर स्कीम के तहत एसएआर का प्रस्ताव तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि कंपनी द्वारा भावी एसएआर ग्रांटी (एसएआर पाने वालों) को इन विनियमों की अनुसूची-1 के भाग-छ के अनुसार प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) न कर दिए जाएँ।

24. अधिकार मिलना

एसएआर स्कीम के मामले में कम से कम एक वर्ष की 'अधिकार मिलने की अवधि' होगी:

परंतु यह कि जहाँ एसएआर कंपनी द्वारा एसएआर स्कीम के तहत, ऐसी किसी दूसरी कंपनी में एसएआर स्कीम के तहत उसी कर्मचारी द्वारा धारित एसएआर के बदले, प्रदान किए जाएँ जिसका पहले उल्लिखित कंपनी में विलय या सम्मेलन (अमैलगमेशन) हो गया हो, तो ऐसे में जिस अवधि के दौरान अंतरक (ट्रांसफरर) कंपनी द्वारा प्रदान किए गए एसएआर उसके पास थे उस अवधि को इस उप-विनियम के तहत अपेक्षित न्यूनतम 'अधिकार मिलने की अवधि' के प्रति समायोजित किया जाएगा:

परंतु यह और कि मृत्यु हो जाने पर या उसके स्थायी रूप से असमर्थ हो जाने की दशा में, कम से कम एक वर्ष की 'अधिकार मिलने की अवधि' लागू नहीं होगी, और ऐसे मामलों में विकल्प का अधिकार मृत्यु हो जाने या स्थायी रूप से असमर्थ हो जाने की तारीख को मिल जाएँगे।

स्पष्टीकरण, - एसएआर स्कीम का कार्यान्वयन करने वाली कंपनी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने या उसके स्थायी रूप से असमर्थ हो जाने के संबंध में एक उपयुक्त नीति बनाएगी, बशर्ते कि लागू प्रावधानों का पालन किया जाए।

25. एसएआर धारक के अधिकार

एसएआर धारण करने वाले कर्मचारी को, उसे प्रदान किए गए एसएआर के संबंध में कोई लाभांश प्राप्त करने या मतदान करने या किसी भी प्रकार से शेयरधारक के फायदे पाने का अधिकार नहीं होगा।

भाग-घ : कर्मचारी फायदों की सामान्य स्कीम

26. प्रबंधन और कार्यान्वयन

- (1) इन विनियमों के प्रावधानों के तहत, कर्मचारी फायदों की सामान्य स्कीम में ये ब्यौरे दिए जाएंगे कि स्कीम कैसे कार्यान्वित की जाएगी और कैसे चलाई जाएगी।
- (2) कंपनी के शेयर या उसकी सूचीबद्ध नियंत्रि (धारिता / होल्डिंग) कंपनी के शेयर, कर्मचारी फायदों की सामान्य स्कीम के प्रयोजनार्थ, स्कीम की कुल आस्तियों (असेट्स) के बही-मूल्य (बुक वैल्यू) या बाजार मूल्य या उचित मूल्य (फेयर वैल्यू) {जो उसके सबसे अंत के तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) [चाहे लेखापरीक्षित हो (उसका ऑडिट किया गया हो) या जिसकी सीमित समीक्षा की गई हो (जिसका लिमिटेड रिव्यू किया गया हो)] में दी हुई हों}, जो भी कम हो, के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।
- (3) कंपनी का सेक्रेटेरियल ऑडिटर यह प्रमाणित करेगा कि कंपनी द्वारा ऐसे तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) को स्वीकारते समय उप-विनियम (2) का पालन किया गया है।

भाग-ङ : सेवानिवृत्ति फायदा स्कीम

27. प्रबंधन और कार्यान्वयन

- (1) सेवानिवृत्ति फायदे संबंधी स्कीम में कंपनी द्वारा शुरू की जा सकेगी, बशर्ते कि वह इन विनियमों और सेवानिवृत्ति फायदों के संबंध में लागू किन्हीं अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुरूप हो।
- (2) सेवानिवृत्ति फायदे संबंधी स्कीम में ये ब्यौरे दिए जाएंगे कि स्कीम कैसे कार्यान्वित की जाएगी और कैसे चलाई जाएगी।
- (3) कंपनी के शेयर या उसकी सूचीबद्ध नियंत्रि (धारिता / होल्डिंग) कंपनी के शेयर, सेवानिवृत्ति फायदे संबंधी स्कीम के प्रयोजनार्थ, स्कीम की कुल आस्तियों (असेट्स) के बही-मूल्य (बुक वैल्यू) या बाजार मूल्य या उचित मूल्य (फेयर वैल्यू) {जो उसके सबसे अंत के तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) [चाहे लेखापरीक्षित हो (उसका ऑडिट किया गया हो) या जिसकी सीमित समीक्षा की गई हो (जिसका लिमिटेड रिव्यू किया गया हो)] में दी हुई हों}, जो भी कम हो, के दस प्रतिशत से

अधिक नहीं होंगे।

- (4) कंपनी का सेक्रेटेरियल ऑडिटर यह प्रमाणित करेगा की कंपनी द्वारा ऐसे तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) को स्वीकारते समय उप-विनियम (3) का पालन किया गया है।

अध्याय-IV

सूचीबद्ध कंपनी द्वारा स्वेट इक्विटी का निर्गम (इश्यू)

भाग-क

28. लागू होना

इस अध्याय में दी हुई कोई भी बात किसी असूचीगत (अनलिस्टिड) कंपनी पर लागू नहीं होगी:

परंतु यह कि स्वेट इक्विटी शेयर जारी किए जाने के बाद, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाने वाली और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अपनी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को सूचीबद्ध करवाने की इच्छा रखने वाली असूचीगत कंपनी, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 के प्रावधानों का पालन करेगी।

29. स्वेट इक्विटी शेयरों को जारी किए जाने के संबंध में कर्मचारी की परिभाषा

इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, शब्द 'कर्मचारी' का अर्थ है,

- कंपनी का कोई कर्मचारी, जो भारत में या भारत के बाहर काम कर रहा हो; या
- कंपनी का निदेशक, फिर चाहे वह पूर्णकालिक निदेशक हो या न हो।

30. कर्मचारियों को स्वेट इक्विटी शेयर जारी करना

जिस कंपनी के इक्विटी शेयर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों, वह कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 54 और इन विनियमों के अनुसार अपने कर्मचारियों को उनके ज्ञान या बौद्धिक संपदा (इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी) अधिकारों या वैल्यू एडिशन, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, की एवज में स्वेट इक्विटी शेयर जारी कर सकती है।

31. स्वेट इक्विटी शेयरों की अधिकतम मात्रा

कंपनी एक वर्ष में मौजूदा समादत्त (पेड-अप) इक्विटी शेयर पूँजी के पंद्रह प्रतिशत से अधिक मूल्य के शेयर जारी नहीं करेगी : परंतु यह कि कंपनी में जारी किए जाने वाले स्वेट इक्विटी शेयर, किसी भी समय, कंपनी की समादत्त इक्विटी पूँजी (पेड-अप इक्विटी कैपिटल) के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे :

परंतु यह और कि, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध कंपनियों को यह अनुमति होगी कि वे, कंपनी के बनने या उसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से दस वर्षों तक, एक वित्तीय वर्ष में समादत्त (पेड-अप) इक्विटी शेयर पूँजी के पंद्रह प्रतिशत तक के शेयर जारी कर सकेंगी, बशर्ते कि इसकी अधिकतम सीमा कंपनी की समादत्त इक्विटी पूँजी के पचास प्रतिशत तक की हो।

32. विशेष संकल्प

- कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 54 की उप-धारा (1) के खंड (क) के तहत विशेष संकल्प (स्पेशल रेज़ोल्यूशन) पारित करने के प्रयोजनार्थ, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 102 के अनुसरण में साधारण बैठक के लिए दी जाने वाली सूचना (नोटिस) के साथ व्याख्यात्मक विवरण (एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट) में वे प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र) किए जाएँगे, जिनका उल्लेख इन विनियमों की अनुसूची-II में किया गया है।
- संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) के कर्मचारियों को स्वेट इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी साधारण बैठक में शेयरधारकों के साधारण बहुमत से संकल्प पारित करवाकर ली जाएगी :

परंतु यह कि ऐसा संकल्प पारित करने के लिए, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 [कंपनीज़ (मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, 2014] के अनुसार डाक मतपत्र के माध्यम से और/या ई-वोटिंग के माध्यम से भी मतदान करवाया जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसे संकल्प में संप्रवर्तक (प्रोमोटर) / संप्रवर्तक समूह हिस्सा नहीं लेंगे।

- (3) हर बार स्वेट इक्विटी जारी करने के संबंध में अलग-अलग संकल्प पारित करते हुए मतदान करवाया जाएगा।
- (4) स्वेट इक्विटी जारी करने के संबंध में पारित किया जाने वाला संकल्प, संकल्प पारित किए जाने की तारीख से बारह महीनों तक की अवधि तक मान्य रहेगा।

33. स्वेट इक्विटी शेयरों का कीमत-निर्धारण

स्वेट इक्विटी शेयरों की कीमत, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 के तहत अर्हित संस्थागत क्रेता (क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर) से भिन्न व्यक्ति के लिए अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) लाए जाने के संबंध में दी हुई कीमत-निर्धारण संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार तय की जाएगी।

34. मूल्यांकन

- (1) ज्ञान या बौद्धिक संपदा (इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी) अधिकारों या वैल्यू एडिशन का मूल्यांकन मर्चेट बैंकर द्वारा किया जाएगा।
- (2) मर्चेट बैंकर ऐसे विशेषज्ञों और मूल्यांककों से परामर्श कर सकेगा, जैसा वह उद्योग के स्वरूप और ज्ञान या बौद्धिक संपदा (इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी) अधिकारों या वैल्यू एडिशन के मूल्यांकन के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए ठीक समझे।
- (3) मर्चेट बैंकर स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा कि ज्ञान या बौद्धिक संपदा (इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी) अधिकारों या वैल्यू एडिशन का मूल्यांकन संबंधित लेखा मानकों (अकाउंटिंग स्टैण्डर्ड्स) के अनुसार किया गया है।

35. लेखा व्यवहार

जहाँ स्वेट इक्विटी शेयर बिना कोई नकद रकम लिए जारी किए जाते हों, वहाँ इसे कंपनी की लेखा-बहियों में निम्नलिखित ढंग से दिखाया जाएगा :-

- (a) जहाँ गैर-नकद प्रतिफल (कन्सिडरेशन) ऐसी आस्ति (असेट) के रूप में हो, जिसका मूल्यहास हो सकता हो या अमोर्टाइजेशन किया जा सकता हो, तो उसे संबंधित लेखा मानकों के अनुसार कंपनी के तुलन-पत्र में दर्शाया जाएगा; या
- (b) जहाँ खंड (क) लागू न हो, वहाँ इसे संबंधित लेखा मानकों के अनुसार खर्चे के रूप में दर्शाया जाएगा।

36. वार्षिक साधारण बैठक से पहले लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना

स्वेट इक्विटी जारी किए जाने के बाद होने वाली साधारण बैठक में, निदेशक मंडल शेयरधारकों के समक्ष कंपनी के सेक्रेटेरियल ऑडिटों का इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि स्वेट इक्विटी शेयर इन विनियमों के अनुसार और कंपनी द्वारा पारित किए गए उस संकल्प के अनुसार जारी किए गए हैं, जिसके जरिए ऐसे स्वेट इक्विटी शेयरों को जारी करना प्राधिकृत किया गया था।

37. प्रबंध-मंडल के व्यक्तियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा

जारी किए गए स्वेट इक्विटी शेयरों की रकम को कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 196, 197 तथा अन्य लागू प्रावधानों के प्रयोजनार्थ प्रबंध-मंडल के व्यक्तियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का हिस्सा तभी माना जाएगा, जब नीचे दी गई शर्तें पूरी होती हों :

- (i) स्वेट इक्विटी शेयर किसी निदेशक या प्रबंधक को जारी किए जाएँ; और
- (ii) स्वेट इक्विटी शेयर बिना कोई नकद रकम लिए जारी किया जाएँ, जो ऐसी किसी आस्ति (असेट) के रूप में न हो, जिसे संबंधित लेखा मानकों के अनुसार कंपनी के तुलन-पत्र में दर्शाया जा सके।

38. स्वेट इक्विटी शेयरों का लॉक-इन

- (1) स्वेट इक्विटी शेयर उतनी अवधि के लिए लॉक-इन रहेंगे, जितनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) के संबंध में निर्धारित की गई है।
- (2) यदि कोई कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर जारी करने के बाद सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) लाती है, तो ऐसे में लॉक-इन और संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) के अंशदान की गणना के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन

(इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में सार्वजनिक निर्गम के संबंध में दिए गए प्रावधान लागू होंगे |

39. सूचीबद्धता (लिस्टिंग)

सूचीबद्ध कंपनी द्वारा जारी किए गए स्वेट इक्विटी शेयर सूचीबद्धता के लिए केवल तभी पात्र होंगे, जब उन्हें इन विनियमों के अनुसार जारी किया जाए |

40. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 का लागू होना स्वेट इक्विटी शेयरों के किसी भी अर्जन के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 (टेकओवर संबंधी विनियमों) के प्रावधान लागू होंगे |

ग – ख साधारण बाध्यताएँ

41. कंपनी की बाध्यताएँ

कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि -

- (क) साधारण बैठक के लिए दी जाने वाली सूचना (नोटिस) के साथ लगे व्याख्यात्मक विवरण (एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट) में वे प्रकटीकरण किए जाएँगे, जिनका उल्लेख कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 54 की उप-धारा (1) के खंड (ख) और इन विनियमों के विनियम 32 के उप-विनियम (1) में किया गया है |
- (ख) विनियम 36 के तहत अपेक्षित सेक्रेटेरियल ऑडिटर का प्रमाणपत्र शेयरधारकों की साधारण बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा |
- (ग) कंपनी, स्वेट इक्विटी शेयर जारी किए जाने के सात दिनों के भीतर, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को विवरण भेजेगी, जिसमें निम्नानुसार जानकारी दी जाएगी:
 - (i) जारी किए गए स्वेट इक्विटी शेयरों की संख्या;
 - (ii) वह कीमत, जिस पर स्वेट इक्विटी शेयर जारी किए गए;
 - (iii) स्वेट इक्विटी शेयरों की एवज में मिली कुल रकम;
 - (iv) उन व्यक्तियों के व्यौरे जिन्हें स्वेट इक्विटी शेयर जारी किए गए; और
 - (v) परिणामस्वरूप पूँजी संरचना (कैपिटल स्ट्रक्चर) में हुए बदलाव तथा स्वेट इक्विटी शेयर जारी किए जाने के बाद और उससे पहले का शेयरधारिता स्वरूप (शेयरहोल्डिंग पैटर्न) |

अध्याय-V

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में छूट प्रदान करने की शक्ति

42. विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

- (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) के संबंध में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा |
- (2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ |

स्पष्टीकरण — इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, “रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स” का अर्थ एक ऐसे लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट से है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयवधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे |

43. दूसरे मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

- (1) बोर्ड *स्वप्रेरणा* से या कंपनी द्वारा आवेदन किए जाने पर, ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में दर्ज किए जाएँगे, इन विनियमों के किसी विनियम का कड़ाई से पालन करने के संबंध में ऐसी शर्तों के तहत छूट प्रदान कर सकेगा, जो बोर्ड प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों तथा प्रतिभूति बाजार के हित में लगाना ठीक समझे।
- (2) उप-विनियम (1) के तहत आवेदन करने वाली कंपनी एक लाख रुपये की फीस (लौटाई न जाने वाली) बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से अदा करेगी।

अध्याय-VI

विविध प्रावधान

44. बोर्ड द्वारा निदेश

अधिनियम के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, इन विनियमों के किसी उल्लंघन के मामले में और निवेशकों और प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के हित में, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

45. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

इन विनियमों के प्रावधानों की व्याख्या और उनके लागू होने के संबंध में किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बोर्ड आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकेगा। बोर्ड ऐसे प्रकटीकरण और प्रक्रिया से संबंधित अपेक्षाएँ निर्धारित कर सकेगा, जो निवेशकों के हितों का संरक्षण करने के लिए और प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के लिए और, *अन्य बातों के साथ-साथ*, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों के फायदे के लिए लाई जाने वाली सभी स्कीमों (जिनके अंतर्गत शेयरों में, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, लेनदेन शामिल है) को विनियमित करने और उनसे संबंधित विषयों का प्रावधान करने के लिए आवश्यक हों।

46. निरसन और व्यावृत्तियाँ

- (1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [श्रमजन्य (स्वेट) इक्विटी का निर्गमन] विनियम, 2002 एतद्वारा निरसित किए जाते हैं।
- (2) ऐसा निरसन हो जाने पर भी, -

(क) निरसित विनियमों के पूर्व प्रवर्तन अथवा उनके तहत विधिवत रूप से की गई कोई भी बात आदि, निरसित विनियमों के तहत अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, निरसित विनियमों के अनुसार किए गए किसी अपराध के संबंध में लगाई गई कोई शास्ति (पेनल्टी), की गई कोई जब्ती या दिया गया कोई दंड, अथवा उपरोक्तानुसार किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, जब्ती या दंड की बाबत कोई तहकीकात (अन्वेषण / इन्वेस्टिगेशन), कानूनी कार्यवाही या उपचार, अप्रभावित रहेंगे, मानो कि निरसित विनियम कभी निरसित ही न हुए हों;

(ख) ऐसे निरसन से पूर्व, निरसित विनियमों के तहत की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई अथवा किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात या किसी कार्रवाई [जिसमें शामिल हैं - शुरू किया गया कोई न्यायनिर्णयन (अड्जुडिकेशन), शुरू की गई कोई जाँच या शुरू की गई कोई तहकीकात (अन्वेषण / इन्वेस्टिगेशन) या जारी की गई कारण बताओ सूचना (शो काज़ नोटिस)] के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के वैसे ही प्रावधानों के तहत की गई है; और

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [श्रमजन्य (स्वेट) इक्विटी का निर्गमन] विनियम, 2002 के निरसन के पश्चात्, बोर्ड द्वारा बनाए गए किन्हीं अन्य विनियमों, उनके तहत बोर्ड द्वारा जारी किए गए किन्हीं दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) या किन्हीं परिपत्रों (सर्कुलर्स) में उनके किसी संदर्भ के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के वैसे ही प्रावधानों का एक संदर्भ है।

अनुसूची - I**भाग-क - न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) में किए जाने वाले न्यूनतम प्रावधान****[विनियम 3(3) देखें]**

न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये ब्यौरे दिए जाएंगे:

1. न्यास (ट्रस्ट) के ब्यौरे, जिसमें शामिल हैं:

(i) न्यास का नाम;

(ii) न्यास का उद्देश्य;

(iii) व्यवस्थापक (सेटलर) के ब्यौरे;

(iv) जिस (जिन) स्कीम (स्कीमों) का प्रबंधन किया है उसके (उनके) ब्यौरे;

(v) पैसों (फंड) के स्रोत;

(vi) यह विवरण कि न्यास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए न्यास के पास रखे पैसों (फंड) का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा;

(vii) यह विवरण कि किस-कित तरह के लाभार्थी होंगे, उनके क्या-क्या अधिकार होंगे और उनकी बाध्यताएँ क्या-क्या होंगी;

(viii) न्यास (न्यासियों) के ब्यौरे;

2. न्यास (न्यासियों) की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ, जिनमें शामिल हैं:

(i) स्कीम के दस्तावेजों, न्यास (ट्रस्ट) के उद्देश्यों और इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के अनुसार स्कीम (स्कीमों) को चलाने के लिए नियम बनाना;

(ii) कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ इन विनियमों के अनुसार न्यास की लेखा-बहियाँ रखना;

3. न्यास (ट्रस्ट) को समाप्त करने से संबंधित प्रावधान;

4. न्यास विलेख में यह उल्लेख होना चाहिए कि न्यासियों का यह कर्तव्य होगा कि वे, इन विनियमों के प्रावधानों के अध्यक्षीन, उन कर्मचारियों के हित में कार्य करें, जो न्यास के लाभार्थी हों और वे कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे और न्यास विलेख में ऐसा कोई प्रावधान शामिल नहीं करेंगे, जिससे ऐसे लाभार्थियों के हितों को नुकसान पहुँच सकता हो।

5. ऐसे अन्य खंड जो लाभार्थियों के हितों का संरक्षण करने के लिए जरूरी हों।

भाग-ख - प्रतिकर समिति (कम्पेनसेशन कमेटी) द्वारा बनाई जाने वाली स्कीमों की शर्तें आदि**[विनियम 5(3) देखें]**

प्रतिकर समिति (कम्पेनसेशन कमेटी) को स्कीमों के संबंध में विस्तृत शर्तें आदि निर्धारित करनी होंगी, जिनके तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे:

क. किसी स्कीम के तहत प्रत्येक कर्मचारी को दिए जाने वाले विकल्प (ऑप्शन), एसएआर, शेयर या फायदे की मात्रा और इस प्रकार दिए जाने वाले विकल्प (ऑप्शन), एसएआर, शेयर या फायदे की कुल मात्रा;

ख. इन विनियमों के अध्याय-III के भाग-घ एवं भाग-ड में उल्लिखित स्कीमों के तहत किस प्रकार के फायदे प्रदान किए जाएंगे;

ग. वे शर्तें, जिनके तहत कर्मचारियों को, यथास्थिति, विकल्प (ऑप्शन), एसएआर, शेयर या अन्य फायदे मिलेंगे और वे शर्तें जिनके तहत गलत आचरण की वजह से कार्यकाल समाप्त किए जाने पर वे समाप्त हो जाएंगे;

घ. अधिकार के प्रयोग की वह अवधि, जिसके भीतर कर्मचारी विकल्पों (ऑप्शन्स) या एसएआर का प्रयोग कर सकेगा, और यह प्रावधान कि यदि अधिकार के प्रयोग की अवधि के भीतर प्रयोग नहीं किया जाता, तो ऐसे विकल्प (ऑप्शन) या एसएआर समाप्त हो जाएंगे;

- ड. यदि कर्मचारी को हटाया जाता है या वह त्यागपत्र दे देता है, तो ऐसे में निर्धारित की गई वह समयावधि, जिसके भीतर कर्मचारी को मिले हुए विकल्पों (ऑप्शन्स) या एसएआर का प्रयोग करना होगा;
- च. कर्मचारी को, यथास्थिति, मिले सभी विकल्पों (ऑप्शन) या एसएआर का प्रयोग, अधिकार के प्रयोग की अवधि के भीतर, एक ही बार में करने या अलग-अलग समय में करने का कर्मचारी का अधिकार;
- छ. हकदारी के संबंध में उचित समायोजन करने की प्रक्रिया, जिसमें कंपनी कार्रवाइयों [जैसे साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू), बोनस निर्गम (बोनस इश्यू), विलय (मर्जर) और अन्य कंपनी कार्रवाइयों] के मामले में विकल्प / एसएआर की संख्या के और अधिकार के प्रयोग हेतु देय कीमत के समायोजन से संबंधित प्रक्रिया शामिल है। इस संबंध में, प्रतिकर समिति को, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातों पर गौर करना होगा:
- i. विकल्पों / एसएआर की संख्या और उनकी कीमत का समायोजन इस प्रकार किया जाएगा कि कर्मचारी को दिए गए विकल्पों / एसएआर का कुल मूल्य कंपनी कार्रवाई के बाद भी उतना ही बना रहे;
- ii. अधिकार मिलने की अवधि और विकल्पों/एसएआर की पूरी अवधि में, जहाँ तक मुमकिन हो, बदलाव नहीं किया जाएगा, ताकि उस कर्मचारी (उन कर्मचारियों) के अधिकारों का संरक्षण हो सके जिन्हें ऐसे विकल्प/एसएआर प्रदान किए गए हों;
- ज. जो कर्मचारी लंबी छुट्टी पर हों, उनके मामले में शेयर, विकल्प या एसएआर प्रदान करना, उन्हें मिलना और उनका प्रयोग किया जाना;
- झ. जो कर्मचारी लंबी छुट्टी हों, उनके मामले में विनियमों के अध्याय-III के भाग-घ और/या भाग-ड में दी हुई स्कीमों के तहत फायदे प्राप्त करने की पात्रता;
- ञ. विकल्पों / एसएआर के प्रयोग के मामले में पैसा (फंड) जुटाने की प्रक्रिया; और
- ट. इन विनियमों के तहत जारी की गई निर्धारित प्रतिभूतियों के बाय-बैक की प्रक्रिया, यदि किसी भी समय कंपनी द्वारा उनका बाय-बैक किया जाना हो, और लागू शर्तें आदि, जिनमें शामिल हैं: (i) बाय-बैक के लिए कहाँ-कहाँ से पैसा जुटाने की अनुमति है (ii) ऐसी कोई न्यूनतम सीमाएँ, जो कंपनी को अपने अंतिम वित्तीय विवरणों के अनुसार बनाए रखनी होंगी; और (iii) निर्धारित प्रतिभूतियों की मात्रा, जितनी कंपनी एक वित्तीय वर्ष के दौरान बाय-बैक कर सकती हो।

स्पष्टीकरण: निर्धारित प्रतिभूतियों का अर्थ है - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक) विनियम, 2018] के तहत परिभाषित प्रतिभूतियाँ।

भाग-ग - शेयरधारकों की बैठक हेतु भिजवाई जाने वाली सूचना (नोटिस) के व्याख्यात्मक विवरण (एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट) और उसमें पारित किए जाने वाले संकल्प (रेज़ोल्यूशन) की विषय-वस्तु

[विनियम 6(2) देखें]

साधारण बैठक हेतु भिजवाई जाने वाली सूचना (नोटिस) के व्याख्यात्मक विवरण (एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट) और बैठक में स्कीमों के संबंध में पारित किए जाने वाले संकल्प में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित भी शामिल होना चाहिए:

- क. स्कीम (स्कीमों) का संक्षिप्त विवरण;
- ख. प्रस्तावित और प्रदान किए गए, यथास्थिति, विकल्पों, एसएआर, शेयर या फायदों की कुल संख्या;
- ग. उन कर्मचारियों की श्रेणियाँ तय करना, जो स्कीम (स्कीमों) में हिस्सा लेने के और लाभार्थी बनने के हकदार हों;
- घ. अधिकार मिलने से संबंधित अपेक्षाएँ और अधिकार मिलने की अवधि;
- ड. वह अधिकतम अवधि [इन विनियमों के, यथास्थिति, विनियम 18(1) और 24(1) के तहत], जिसके भीतर विकल्पों / एसएआर / फायदे मिलेंगे;
- च. अधिकार के प्रयोग हेतु देय कीमत, एसएआर कीमत, खरीदने की कीमत और कीमत तय करने का फॉर्मूला;
- छ. अधिकार के प्रयोग की अवधि / प्रस्ताव (ऑफर) की अवधि और अधिकार के प्रयोग / प्रस्ताव को स्वीकार

- किए जाने की प्रक्रिया;
- ज. स्कीम (स्कीमों) के संबंध में कर्मचारियों की पात्रता तय करने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया;
- झ. प्रत्येक कर्मचारी को, यथास्थिति, प्रस्तावित और जारी किए गए विकल्पों (ऑप्शन), एसएआर, शेयरों की अधिकतम संख्या और इस प्रकार दिए जाने वाले विकल्पों (ऑप्शन), एसएआर, शेयरों की कुल संख्या;
- ञ. किसी स्कीम (किन्हीं स्कीमों) के तहत प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम कितने फायदे दिए जाएंगे;
- ट. क्या स्कीम (स्कीमों) का कार्यान्वयन और प्रबंधन सीधे कंपनी द्वारा किया जाएगा या न्यास के माध्यम से किया जाएगा;
- ठ. क्या स्कीम (स्कीमों) के तहत कंपनी द्वारा नए शेयर जारी किए जाएंगे या न्यास द्वारा द्वितीयक बाजार से खरीद की जाएगी या दोनों ही तरीके अपनाए जाएंगे;
- ड. स्कीम (स्कीमों) का कार्यान्वयन करने के लिए कंपनी द्वारा न्यास को कितना उधार दिया जाएगा, उसकी मीयाद कितनी होगी, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, चुकौती की शर्तें आदि क्या होंगी, इत्यादि;
- ढ. स्कीम (स्कीमों) के लिए न्यास द्वारा द्वितीयक बाजार से अधिकतम कितने प्रतिशत की खरीद (इन विनियमों के तहत निर्धारित सीमाओं के तहत) की जा सकती है;
- ण. इस आशय का कथन कि कंपनी विनियम 15 में दी हुई लेखा नीतियाँ अपनाएगी;
- त. वह पद्धति जिसके आधार पर कंपनी अपने विकल्पों या एसएआर का मूल्य निकालेगी;
- थ. नीचे दिया हुआ कथन, यदि लागू हो:

'जहाँ कंपनी ने वास्तविक मूल्य के आधार पर शेयर आधारित कर्मचारी फायदों की गणना करने का विकल्प चुना हो, वहाँ इस प्रकार से की गई गणना के हिसाब से कर्मचारी को अदा की जाने वाली रकम (कॉम्पेन्सेशन कॉस्ट) और यदि गणना उचित मूल्य के आधार पर की गई होती, तो उस दशा में कर्मचारी को अदा की जाने वाली रकम के बीच के अंतर को निदेशकों की रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा, और साथ ही निदेशकों की रिपोर्ट में यह भी प्रकट किया जाएगा कि इस अंतर से कंपनी के मुनाफे पर और कंपनी के ईपीएस पर कितना असर पड़ा;

द. लॉक-इन की अवधि ।

ध. इन विनियमों के दायरे में आने वाली निर्धारित प्रतिभूतियों के बाँय-बैक (यदि की जानी हो) की शर्तें आदि ।

भाग-घ - स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास दाखिल किए जाने वाले विवरण में दी जाने वाली जानकारी

[विनियम 10(ख) देखें]

स्कीमों के विवरण

- 1 कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी (अथॉराइज़्ड शेयर कैपिटल) ।
- 2 स्कीम के कार्यान्वयन की तारीख / स्कीम में बदलाव किए जाने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार कंपनी की निर्गमित शेयर पूँजी (इश्यूड शेयर कैपिटल) ।
- 3 स्कीम के कार्यान्वयन की तारीख / स्कीम में बदलाव किए जाने की तारीख ।
- 4 स्कीम की मान्यता की अवधि ।
- 5 इन विनियमों के विनियम 6(3) के तहत स्कीम को मंजूरी देने / स्कीम में बदलाव करने / ग्रान्ट को मंजूरी देने के संबंध में बुलाई गई वार्षिक साधारण बैठक / वार्षिक असाधारण बैठक के लिए सूचना (नोटिस) भिजवाए जाने की तारीख ।
- 6 इन विनियमों के विनियम 6(3) के तहत स्कीम को मंजूरी देने / स्कीम में बदलाव करने / ग्रान्ट को मंजूरी देने के लिए बुलाई गई वार्षिक साधारण बैठक / वार्षिक असाधारण बैठक की तारीख ।
- 7 स्कीम के तहत किस तरह का फायदा दिया गया ।
- 8 स्कीम के तहत पात्र व्यक्तियों की श्रेणियाँ निर्धारित करना:

- क. कर्मचारी
- ख. भारत के बाहर रहने वाले कर्मचारी
- ग. समनुषंगी (सब्सिडियरी) के कर्मचारी
- घ. नियंत्रि (धारिता / होल्लिडग) कंपनी के कर्मचारी
- ङ. वे निदेशक (चाहे वे पूर्णकालिक निदेशक हो या न हों), जिन्हें इन विनियमों के तहत दी हुई "कर्मचारी" की परिभाषा से बाहर रखा गया है।
- 9 स्कीम के तहत आरक्षित शेयरों की कुल संख्या, जो लागू हो।
- 10 ग्रांट के तहत कितने शेयरों की हकदारी बनती है।
- 11 कुल कितने ग्रांट दिए जाएंगे।
- 12 किसी एक कर्मचारी को एक ग्रांट के तहत प्रदान किए जाने वाले शेयरों, विकल्पों, एसएआर या फायदों की अधिकतम संख्या और ऐसे शेयरों, विकल्पों, एसएआर या फायदों की कुल संख्या।
- 13 अधिकार के प्रयोग हेतु देय कीमत या कीमत निकालने का फॉर्मूला।
- 14 क्या ग्रांट के समय कोई रकम अदा की जानी है? यदि हाँ, तो कितनी रकम अदा की जानी है?
- 15 स्कीम के तहत लॉक-इन की अवधि।
- 16 स्कीम के तहत अधिकार मिलने की अवधि।
- 17 वह अधिकतम अवधि, जिसके भीतर ग्रांट के तहत अधिकार मिलेगा।
- 18 स्कीम के तहत अधिकार के प्रयोग की अवधि।
- 19 क्या कर्मचारी मिले सभी विकल्पों या एसएआर का प्रयोग एक ही बार में कर सकता है? हाँ / नहीं।
- 20 क्या कर्मचारी मिले विकल्पों या एसएआर का प्रयोग अधिकार के प्रयोग की अवधि के भीतर अलग-अलग समय पर कर सकता है? हाँ / नहीं।
- 21 क्या साधिकार निर्गमों (राइट्स इश्यू), बोनस निर्गम (बोनस इश्यू) तथा अन्य कंपनी कार्रवाइयों के मामले में विकल्पों या एसएआर की संख्या के प्रति और 'अधिकार के प्रयोग हेतु देय कीमत' के प्रति निष्पक्ष और सही तरीके से समायोजन करने की प्रक्रिया स्कीम में दी हुई है? वह खंड बताएं जिसमें ऐसे समायोजन का जिक्र है।
- 22 स्कीम के तहत कर्मचारियों की पात्रता तय करने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया का विवरण।
- 23 कर्मचारी को हटाये जाने या उसके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के मामले में वह निर्धारित समयावधि, जिसके भीतर मिले विकल्पों या एसएआर का प्रयोग करना होगा।
- 24 कर्मचारी की मृत्यु होने के मामले में वह निर्धारित समयावधि, जिसके भीतर मिले विकल्पों या एसएआर का प्रयोग करना होगा।
- 25 क्या स्कीम के तहत ऐसी शर्तों का प्रावधान किया गया है, जिनके अनुसार गलत आचरण की वजह से कार्यकाल समाप्त किए जाने पर कर्मचारियों को मिले विकल्प (ऑप्शन), एसएआर समाप्त हो सकते हैं, या फायदे देने से मना किया जा सकता है? वह खंड बताएं जिसमें ऐसे समायोजन का जिक्र है।
- 26 क्या स्कीम के तहत उन कर्मचारियों के मामले में जो लंबी छुट्टी पर हों, ग्रांट, अधिकार मिलने, विकल्प के अधिकार, एसएआर का प्रयोग करने या उनके फायदों से संबंधित शर्तों का प्रावधान किया गया है। वह खंड बताएं जिसमें ऐसे समायोजन का जिक्र है।
- 27 क्या ग्रांट के समय, अधिकार मिलने के समय, विकल्प, एसएआर, फायदों का प्रयोग करने के समय कर्मचारी द्वारा अदा की गई / अदा की जाने वाली रकम तब जब्त हो जाएगी, यदि कर्मचारी उनका प्रयोग अधिकार के प्रयोग की अवधि के भीतर नहीं करता? वह खंड बताएं जिसमें ऐसे समायोजन का जिक्र है।
- 28 इन विनियमों के विनियम 6(3) के अनुसार इस संबंध में शेयरधारकों की मंजूरी के ब्यौरे:
- क. समनुषंगी (सब्सिडियरी) या नियंत्रि (धारिता / होल्लिडग) या सहयोगी (असोसिएट) कंपनी के कर्मचारियों को ग्रांट।
- ख. निर्धारित कर्मचारियों को किसी एक वर्ष के दौरान ग्रांट, जो ग्रांट के समय कंपनी की निर्गमित पूँजी (इश्यूड कैपिटल) [बकाया वारंटों या संपरिवर्तनों (कन्वर्जन) को छोड़कर] के 1% के बराबर हो या उससे अधिक हो।
- 29 स्कीम में किए गए बदलाव और उसके तर्काधार के ब्यौरे और उन कर्मचारियों के ब्यौरे जिनको ऐसे बदलाव का फायदा मिलेगा।

ह-

कंपनी सचिव

स्थान:

तारीख:

रजिस्ट्रीकरण (रजिस्ट्रेशन) संबंधी विवरण के साथ दाखिल किए जाने वाले दस्तावेज

- 1 स्कीम की प्रति, जो कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित की गई हो,
- 2 इन विनियमों के विनियम 6(3) के तहत स्कीम को मंजूरी देने / स्कीम में बदलाव करने / ग्रान्ट को मंजूरी देने के संबंध में बुलाई गई वार्षिक साधारण बैठक / वार्षिक असाधारण बैठक के लिए भिजवाई गई सूचना (नोटिस) की प्रति, जो कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित की गई हो।
- 3 इन विनियमों के विनियम 6(3) के तहत स्कीम को मंजूरी देने / स्कीम में बदलाव करने / ग्रान्ट को मंजूरी देने के संबंध में शेयरधारकों की बुलाई गई वार्षिक साधारण बैठक / वार्षिक असाधारण बैठक के संकल्प (रेज़ोल्यूशन) की प्रति, जो कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित की गई हो।
- 4 इन विनियमों में दी हुई परिभाषा के अनुसार संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) की सूची।
- 5 सबसे अंतिम वार्षिक रिपोर्ट की प्रति।
- 6 इन विनियमों के पालन के संबंध में सेक्रेटेरियल ऑडिटर का प्रमाणपत्र।
- 7 शेयर प्रमाणपत्र के नमूने की प्रति, यदि लागू हो।
- 8 कोई अन्य संबंधित दस्तावेज।

वचन

अधोहस्ताक्षरी कंपनी एतद्वारा यह वचन देती है कि:

- 1 वह वितरण की स्कीम के संबंध में किसी महत्वपूर्ण जानकारी (जिसे पहले इस विवरण में प्रकट न किया गया हो) को शामिल करने के लिए या इस विवरण में दी गई ऐसी जानकारी में महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए इस विवरण में बाद में जो भी संशोधन करेगी उसे दाखिल करेगी।
- 2 वह इस विवरण में उल्लिखित स्कीम के अनुसार विकल्पों या एसएआर के तहत अधिकार के प्रयोग के अनुसरण में प्रत्येक बार शेयर जारी किए जाने सूचना, निर्धारित किए गए फॉर्म (समय-समय पर यथा संशोधित) में, उन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को देगी, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हों।
- 3 कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के विनियम 15 में दी हुई लेखा संबंधी नीतियों का पालन करेगी।
- 4 स्कीम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार बनाई गई है।
- 5 कंपनी की ऐसी व्यवस्थाएँ / कोड / प्रक्रियाएँ हैं, जिनके संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 [सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग) रेग्यूलेशन्स, 2015] अथवा उसके किसी संशोधन या पुनःअधिनियमिति में दिए गए प्रावधानों का पालन किया गया है।

हस्ताक्षर

अधिनियम / विनियमों में दी हुई अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी यह प्रमाणित करती है कि उसके पास इस बात पर विश्वास करने के उपयुक्त आधार हैं कि उसके द्वारा इस फॉर्म को भरने से संबंधित सभी अपेक्षाओं का पालन कर लिया गया है और अधोहस्ताक्षरी ने इस विवरण पर कंपनी की ओर से हस्ताक्षर किए हैं।

कंपनी का नाम

अनुपालन अधिकारी का नाम

पद

तारीख:

स्थान:

इन विनियमों के विनियम 12(6) के अनुसार रजिस्ट्रीकृत मर्चेट बैंकर द्वारा प्रमाणीकरण:

“यह प्रमाणित किया जाता है कि स्कीम के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के प्रावधानों का पालन किया गया है।”

तारीख:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान:

मर्चेट बैंकर का नाम

भाग-ड - शेयर जारी (इश्यू) किए जाने के संबंध में दी जाने वाली सूचना का फार्मेट

[विनियम 10(ग) देखें]

1. कंपनी का नाम और रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) कार्यालय का पता:
2. उन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के नाम, जिनमें कंपनी के शेयर सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों:
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के विनियम 10(ख) के अनुसार मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के पास विवरण दाखिल किए जाने की तारीख:
4. फाइलिंग संख्या, यदि कोई हो :
5. उस स्कीम का शीर्षक, यदि कोई हो, जिसके तहत शेयर जारी किए जा रहे हों:
6. किस प्रकार की प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाई जानी है:
7. शेयरों का सम मूल्य (पार वैल्यू) :
8. शेयर जारी (इश्यू) किए जाने की तारीख :
9. जारी (इश्यू) किए गए शेयरों की संख्या :
10. शेयर प्रमाणपत्र संख्या, यदि लागू हो :
11. शेयर की विशिष्ट संख्या (डिस्टिक्टिव नंबर), यदि लागू हो :
12. यदि डीमैट रूप में शेयर जारी (इश्यू) किए गए हों, तो उनकी आईएसआईएन संख्या :
13. अधिकार के प्रयोग हेतु प्रति शेयर देय कीमत:
14. प्रति शेयर प्रीमियम:
15. इस निर्गम (इश्यू) के बाद निर्गमित कुल शेयरों की संख्या :
16. इस निर्गम (इश्यू) के बाद कुल निर्गमित शेयर पूँजी:
17. शेयर में लगे किसी लॉक-इन के ब्यौरे:
18. लॉक-इन पूरा होने की तारीख :
19. क्या शेयर मौजूद शेयरों से हर लिहाज से हूबहू हैं? यदि नहीं, तो वे कब तक हूबहू होंगे?
20. सूचीबद्धता संबंधी फीस (यदि दी जानी हो) के ब्यौरे:

कंपनी सचिव / अनुपालन अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

भाग-च - निदेशक मंडल द्वारा किए जाने वाले प्रकटीकरण

[विनियम 14 देखें]

निदेशक मंडल अपने रिपोर्ट में स्कीम (स्कीमों) में हुए किसी महत्वपूर्ण बदलाव के संबंध में प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र) करेगा और साथ ही यह भी प्रकट करेगा कि स्कीम (स्कीमों) के संबंध में विनियमों का पालन किया गया है या नहीं।

इसके अलावा, कंपनी के वेबसाइट पर, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित ब्यौरे भी दिए जाएंगे और निदेशक मंडल की रिपोर्ट में उनका वेबलिनक भी दिया जाएगा।

क. कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 133 के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित लेखा मानकों के साथ-साथ इस संबंध में जारी किए गए 'कर्मचारी शेयर आधारित भुगतानों के लेखे संबंधी गाइडेंस नोट' के अनुसार (जो समय-समय पर निर्धारित किए जाएं) संबंधित प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र)।

ख. इन विनियमों के दायरे में आने वाली सभी स्कीमों के तहत जारी (इश्यू) किए गए शेयरों के संबंध में घटाकर निकाला गया ईपीएस केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए "लेखा मानक 20 – आमदनी प्रति शेयर" के अनुसार या किन्हीं अन्य संबंधित लेखा मानकों (जो समयसमय पर निर्धारित किए- जाएं) के अनुसार प्रकट (डिस्कलोज़र) किया जाएगा।

ग. ईएसओएस से संबंधित ब्यौरे

(i) वर्ष के दौरान किसी भी समय जो ईएसओएस स्कीम हो, उसका विवरण (जिसमें प्रत्येक ईएसओएस की सामान्य शर्तें आदि शामिल हैं), जिसमें शामिल है -

(क) शेयरधारकों की ओर से मिली मंजूरी की तारीख

(ख) ईएसओएस के तहत मंजूर किए गए विकल्पों की कुल (ऑप्शन) संख्या

(ग) अधिकार मिलने से संबंधित अपेक्षाएँ

(घ) अधिकार के प्रयोग हेतु देय कीमत या कीमत-निर्धारण का फॉर्मूला

(ङ) प्रदान किए गए विकल्पों (ऑप्शन) की अधिकतम अवधि

(च) शेयर कहाँ से लिए गए (प्राथमिक बाजार से, द्वितीयक बाजार से या दोनों जगहों से)

(छ) विकल्पों (ऑप्शन्स) की शर्तों आदि में बदलाव

(ii) ईएसओएस के लेखांकन के संबंध में अपनाई गई पद्धति - वास्तविक या उचित मूल्य

(iii) जहाँ कंपनी ने विकल्पों के वास्तविक मूल्य के आधार पर विकल्पों की गणना करने का विकल्प चुना हो, वहाँ इस प्रकार से की गई गणना के हिसाब से कर्मचारी को अदा की जाने वाली रकम (कॉम्पेन्सेशन कॉस्ट) और यदि गणना विकल्पों के उचित मूल्य के आधार पर की गई होती तो उस दशा में, कर्मचारी को अदा की जाने वाली रकम के बीच के अंतर को प्रकट किया जाएगा। यह भी प्रकट किया जाएगा कि इस अंतर से कंपनी के मुनाफे पर और कंपनी के ईपीएस पर कितना असर पड़ेगा।

(iv) वर्ष के दौरान विकल्पों (ऑप्शन्स) से संबंधित आँकड़े (प्रत्येक ईएसओएस के लिए):

विवरण	ब्यौरे
अवधि की शुरुआत तक की स्थिति के अनुसार बकाया विकल्पों की संख्या	
वर्ष के दौरान प्रदान किए गए विकल्पों की संख्या	
वर्ष के दौरान जब्त किए गए / समाप्त हुए विकल्पों की संख्या	
वर्ष के दौरान जिन विकल्पों के अधिकार मिले उनकी संख्या	

वर्ष के दौरान जिन विकल्पों के तहत अधिकारों का प्रयोग किया गया, उनकी संख्या	
विकल्प के तहत अधिकार का प्रयोग करने की वजह से मिले शेयरों की संख्या	
यदि स्कीम सीधा कंपनी द्वारा चलाई जा रही हो, तो विकल्पों का प्रयोग करने पर मिले पैसे (भारतीय रुपये में)	
अधिकार के प्रयोग हेतु देय कीमत अदा किए जाने पर वर्ष के दौरान न्यास द्वारा चुकाया गया ऋण	
वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार बकाया विकल्पों की संख्या	
वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार प्रयोग किए जाने वाले विकल्पों की संख्या	

- (v) विकल्पों के तहत अधिकार के प्रयोग हेतु देय कीमतों का भारित औसत और विकल्पों के तहत उचित मूल्यों का भारित औसत उन विकल्पों के मामले में अलग से प्रकट (डिस्कलोज़) किया जाएगा जिनके तहत अधिकार के प्रयोग हेतु देय कीमत या तो स्टॉक की बाजार कीमत से ज्यादा हो या उसके बराबर हो।
- (vi) प्रदान किए गए विकल्पों के निम्नानुसार ब्यौरे (कर्मचारी के अनुसार) [कर्मचारी का नाम, पदनाम, वर्ष के दौरान प्रदान किए गए विकल्प, अधिकार के प्रयोग की कीमत] -
- (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के विनियम 16(घ) के तहत यथा परिभाषित वरिष्ठ प्रबंधमंडल में शामिल व्यक्तियों - के ब्यौरे;
- (ख) किसी ऐसे अन्य कर्मचारी के ब्यौरे, जिसे किसी एक वर्ष के दौरान जितने विकल्प मिले हों वे उस वर्ष प्रदान किए गए कुल विकल्पों का 5% या उससे ज्यादा हो; और
- (ग) ऐसे निर्धारित कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्हें किसी एक वर्ष के दौरान प्रदान किया गया विकल्प, इस प्रकार विकल्प प्रदान किए जाने के समय कंपनी की निर्गमित पूँजी (बकाया वारंटों और संपरिवर्तनों को छोड़कर) के 1% के बराबर या उससे ज्यादा हो।
- (vii) विकल्पों के उचित मूल्य का आकलन करने के लिए, वर्ष के दौरान जो पद्धति अपनाई गई और जो महत्वपूर्ण अनुमान लगाए गए उनके विवरण, जिनमें नीचे दी गई जानकारी भी शामिल है (:
- (क) शेयर की भारित-औसत कीमत (वेटेड एवरेज वैल्यू), अधिकार के प्रयोग की कीमत, अनुमानित उतार-चढ़ाव, विकल्प की अनुमानित अवधि, अनुमानित लाभांश(डिविडेंड), जोखिम-मुक्त ब्याज दर और मॉडल से संबंधित कोई अन्य जानकारी;
- (ख) अनुमान के अनुसार यदि अधिकार का जल्दी प्रयोग किया जाएतो उस, से जो प्रभाव पड़ेगा उसके संबंध में प्रावधान करने के लिए जो पद्धति अपनाई गई और जो अनुमान लगाए गए उनके ब्यौरे;
- (ग) अनुमानित उतार-चढ़ाव का कैसे पता लगाया गया, जिसमें यह भी स्पष्टीकरण दिया जाए कि अनुमानित उतारचढ़ाव पर किस हद तक आधारित है-उतार चढ़ाव पहले हुए-; और
- (घ) क्या प्रदान किए गए विकल्प से जुड़ी किसी बात (जैसे बाजार की परिस्थिति) के आधार पर उचित मूल्य (फेस वैल्यू) की गणना की गई और कैसे की गई।

आईपीओ से पहले के तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक ईएसओएस के तहत दिए गए ग्रांट के संबंध में प्रकटीकरण

जब तक कि आईपीओ से पहले के तीन वर्षों में प्रदान किए गए सभी विकल्पों के तहत अधिकारों का प्रयोग नहीं कर लिया जाता या उनकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती, तब तक ऐसे विकल्पों के संबंध में भी ऊपर उल्लिखित

जानकारी प्रकट की जाएगी |

घ. ईएसपीएस से संबंधित ब्यौरे

- (i) ऐसे प्रत्येक ईएसपीएस के संबंध में नीचे दिए गए ब्यौरे दिए जाएँ, जिनके संबंध में वर्ष के दौरान आबंटन किया गया हो :
- (क) शेयरधारकों द्वारा दी गई मंजूरी की तारीख
- (ख) जारी किए गए शेयरों की संख्या
- (ग) वह कीमत जिस पर ऐसे शेयर जारी किए गए
- (घ) लॉक-इन की अवधि
- (ii) वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक ईएसपीएस के तहत किए गए आबंटन के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे

विवरण	ब्यौरे
ईएसपीएस के तहत जारी किए गए शेयरों की संख्या के ब्यौरे	
वह कीमत जिस पर ऐसे शेयर जारी किए गए	
जारी किए गए शेयरों के निम्नानुसार ब्यौरे (कर्मचारी के अनुसार); (i) "वरिष्ठ प्रबंध-मंडल" जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के विनियम 16(1)(घ) के तहत परिभाषित है; (ii) किसी ऐसे अन्य कर्मचारी के ब्यौरे, जिसे किसी एक वर्ष के दौरान जितने शेयर जारी किए गए हों वे उस वर्ष जारी किए गए कुल शेयरों का 5% हो या उससे ज्यादा हो; (iii) ऐसे निर्धारित कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्हें किसी एक वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर, इस प्रकार शेयर जारी किए जाने के समय कंपनी की निर्गमित पूँजी के 1% के बराबर या उससे ज्यादा हो;	
यदि स्कीम सीधे कंपनी द्वारा शुरू की जाती हो, तो शेयर जारी किए जाने की एवज में प्राप्त प्रतिफल	
वर्ष के दौरान अधिकार के प्रयोग की जो कीमत प्राप्त हुई हो, उसमें से न्यास द्वारा चुकाया गया ऋण	

ङ. एसएआर से संबंधित ब्यौरे

- (i) जो भी एसएआर स्कीम वर्ष के दौरान किसी भी समय मौजूद हो, उस प्रत्येक एसएआर स्कीम के विवरण, जिनमें शामिल हैं - प्रत्येक एसएआर स्कीम की सामान्य शर्तें आदि, और -
- (क) शेयरधारकों द्वारा दी गई मंजूरी की तारीख
- (ख) एसएआर स्कीम के तहत कुल कितने शेयरों को मंजूरी दी गई
- (ग) अधिकार मिलने संबंधी अपेक्षाएँ
- (घ) एसएआर की कीमत या कीमत-निर्धारण का फॉर्मूला
- (ङ) एसएआर अधिक से अधिक कितनी अवधि के लिए दिया जा सकता है
- (च) निपटान का तरीका (चाहे नकद रूप में हो या इक्विटी में)
- (छ) निपटान किसके साथ किया जाएगा (कंपनी के साथ या कर्मचारी के साथ या दोनों के साथ)

- (ज) शेयरों का स्रोत (प्राथमिक, द्वितीयक या दोनों तरह से)
- (झ) स्कीम की शर्तों आदि में बदलाव
- (ii) एसएआर की गणना किसके आधार पर की गई - वास्तविक मूल्य या उचित मूल्य।
- (iii) जहाँ कंपनी ने एसएआर के वास्तविक मूल्य के आधार पर एसएआर की गणना करने का विकल्प चुना हो, वहाँ इस प्रकार से की गई गणना के हिसाब से कर्मचारी को अदा की जाने वाली रकम और यदि एसएआर की गणना उचित मूल्य के आधार पर की गई होती, तो उस दशा में कर्मचारी को अदा की जाने वाली रकम के बीच के अंतर को प्रकट किया जाएगा। साथ ही यह भी प्रकट किया जाएगा कि इस अंतर से कंपनी के मुनाफे पर और कंपनी के ईपीएस पर कितना असर पड़ेगा।

वर्ष के दौरान एसएआर के संबंध में उतार-चढ़ाव (प्रत्येक एसएआर स्कीम के लिए):

विवरण	ब्यौरे
वर्ष की शुरुआत में बकाया एसएआर की संख्या	
वर्ष के दौरान प्रदान किए गए एसएआर की संख्या	
वर्ष के दौरान जब्त किए गए एसएआर की संख्या / कितने एसएआर की अवधि समाप्त हो गई	
वर्ष के दौरान कितने एसएआर के तहत अधिकार मिल गए	
वर्ष के दौरान कितने एसएआर के तहत अधिकार का प्रयोग किया गया / के संबंध में निपटान किया गया	
वर्ष के अंत में कितने एसएआर बकाया रहे	
वर्ष के अंत में कितने एसएआर के तहत अधिकार का प्रयोग किया जा सकता था	

- (i) प्रदान किए गए एसएआर के निम्नानुसार ब्यौरे (कर्मचारी के अनुसार) [कर्मचारी का नाम, पदनाम, वर्ष के दौरान प्रदान किए गए एसएआर, अधिकार के प्रयोग की कीमत] -
- (क) "वरिष्ठ प्रबंध-मंडल" जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के विनियम 16(1)(घ) के तहत परिभाषित है;
- (ख) किसी ऐसे अन्य कर्मचारी के ब्यौरे, जिसे किसी एक वर्ष के दौरान जितने एसएआर मिले हों वे उस वर्ष प्रदान किए गए कुल विकल्पों का 5% या उससे ज्यादा हो; और
- (ग) ऐसे निर्धारित कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्हें किसी एक वर्ष के दौरान प्रदान किए गए एसएआर, इस प्रकार एसएआर प्रदान किए जाने के समय कंपनी की निर्गमित पूँजी (बकाया वारंटों और संपरिवर्तनों को छोड़कर) के 1% के बराबर या उससे ज्यादा हो।

आईपीओ से पहले के तीन वर्षों में प्रत्येक एसएआर स्कीम के तहत दिए गए ग्रांट के संबंध में प्रकटीकरण

जब तक कि आईपीओ से पहले के तीन वर्षों में प्रदान किए गए सभी एसएआर के तहत अधिकारों का प्रयोग नहीं कर लिया जाता या उनकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती, तब तक ऐसे एसएआर के संबंध में भी ऊपर उल्लिखित जानकारी प्रकट की जाएगी।

च. जीईबीएस / आरबीएस से संबंधित ब्यौरे

जो भी जीईबीएस / आरबीएस स्कीम वर्ष के दौरान किसी भी समय मौजूद हो, उस प्रत्येक एसएआर स्कीम के विवरण, जिनमें शामिल हैं - ऐसी प्रत्येक स्कीम की सामान्य शर्तें आदि, और -

- (क) शेयरधारकों द्वारा दी गई मंजूरी की तारीख
- (ख) स्कीम के तहत किस तरह के फायदे दिए गए

- (ग) स्कीम से किसे फायदा हो रहा है
- (घ) स्कीम की कुल आस्तियाँ
- (ङ) अपने कितने शेयर रखे हुए हैं / सूचीबद्ध धारिता (होलिंग) कंपनी के कितने शेयर रखे हुए हैं (मात्रा और प्रतिशत दोनों का उल्लेख करें)
- (च) क्या स्कीम के संबंध में इन विनियमों के विनियम 26(2) / 27(3), जो भी लागू हो, का पालन किया गया है
- (छ) स्कीम की शर्तों आदि में बदलाव

छ. न्यास से संबंधित ब्यौरे

इन विनियमों के तहत स्कीमों का कामकाज देखने के प्रयोजनार्थ बनाए गए न्यास द्वारा किए गए लेनदेन के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, नीचे दिए गए ब्यौरे भी प्रकट किए जाएँ :

(i) सभी स्कीमों के संबंध में सामान्य जानकारी

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरे
1.	न्यास का नाम	
2.	न्यासी (न्यासियों) के ब्यौरे	
3.	वर्ष के दौरान कंपनी / समूह(ग्रुप) की किसी कंपनी द्वारा दिए गए ऋण की रकम	
4.	वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण की रकम (जो कंपनी / समूह की किसी कंपनी को वापस किया जाना है)	
5.	किसी अन्य स्रोत से लिए गए ऋण, यदि कोई हो, की रकम, जिसके लिए कंपनी / समूह की किसी कंपनी ने कोई जमानत रखी हो या गारंटी दी हो	
6.	वर्ष के दौरान न्यास को दिया गया कोई अन्य अंशदान	

(ii) न्यास द्वारा शेयरों में किए गए लेनदेन के संक्षिप्त ब्यौरे

- (क) वर्ष की शुरुआत में पड़े शेयरों की संख्या;
- (ख) वर्ष के दौरान (i) प्राथमिक निर्गम (प्राइमरी इश्युएंस) (ii) द्वितीयक बाजार से अर्जित किए गए शेयरों की संख्या, साथ ही यह भी बताया जाए कि वह पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार समादत्त इक्विटी पूँजी के कितना प्रतिशत है, और प्रति शेयर अर्जन की भारित औसत लागत भी बताई जाए;
- (ग) कर्मचारियों को अंतरित किए गए / बेचे गए शेयरों की संख्या और साथ ही ऐसा किए जाने का उद्देश्य भी बताएँ;
- (घ) वर्ष के अंत में पड़े शेयरों की संख्या।

(iii) न्यास द्वारा द्वितीयक बाजार से शेयर खरीदने के मामले में

शेयरों की संख्या	जिस वर्ष में शेयरधारकों की मंजूरी ली गई थी, उस वर्ष से ठीक पहले के वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार समादत्त इक्विटी पूँजी के प्रतिशत के रूप में
वर्ष की शुरुआत में पड़े शेयर	
वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर	
वर्ष के दौरान बेचे गए शेयर	
वर्ष के दौरान कर्मचारियों को अंतरित किए गए शेयर	
वर्ष के अंत में पड़े शेयर	

भाग-छ - प्रकटीकरण दस्तावेज**[विनियम 16(2) एवं 23(3) देखें]****क : जोखिमों का विवरण**

शेयरों, विकल्पों या एसएआर में किए जाने वाले सभी निवेशों में जोखिम होता है, क्योंकि शेयरों का मूल्य कम-ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा, विकल्पों / एसएआर में नीचे दिए गए जोखिम भी होते हैं :

1. कन्संट्रेशन: शेयरों के मूल्य में किसी गिरावट की वजह से सामने आने वाले जोखिम की संभावना उस स्थिति में और बढ़ जाती है, जब किसी कर्मचारी के पास एक ही कंपनी के शेयर पड़े हों।
2. लीवरेज: शेयरों के मूल्य में होने वाले किसी बदलाव की वजह से विकल्पों / एसएआर के मूल्य में काफी ज्यादा बदलाव आ सकता है।
3. अर्थसुलभता (लिक्विडिटी): विकल्पों / एसएआर किसी और को अंतरित नहीं किया जा सकता, और इसलिए कर्मचारी, उनके तहत अधिकार का प्रयोग किए जाने से पहले, अपने समस्त फायदे या कुछ फायदे को बेचकर अपने जोखिम कम नहीं कर सकते।
4. अधिकार मिलने संबंधी जोखिम: यदि अधिकार मिलने से पहले ही कर्मचारी को हटा दिया जाए, तो विकल्पों / एसएआर समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि विकल्प / एसएआर मिल जाने के बाद भी, यदि कर्मचारी को घोर कदाचार के लिए हटा दिया जाए, तो ऐसे में जिन विकल्प / एसएआर के तहत अधिकारों का प्रयोग न किया गया हो वे विकल्पों / एसएआर जब्त किए जा सकते हैं।

ख : कंपनी के बारे में जानकारी

1. कंपनी का कारोबार : कंपनी के मुख्य उद्देश्यों और वर्तमान कारोबार के विवरण।
2. संक्षिप्त वित्तीय जानकारी : पिछले जिन पाँच वित्तीय वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी उपलब्ध हो, उनके संबंध में संक्षिप्त वित्तीय जानकारी, जैसी समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए। कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित लेखे भी तब उपलब्ध करवाए जाएंगे, यदि पिछली बार प्रदान किए गए विकल्प या एसएआर या अन्य किसी फायदे के संबंध में कर्मचारियों को वह पहले ही उपलब्ध न करवाया गया हो।
3. जोखिम कारक : कंपनी से संबंधित जोखिम कारकों के संबंध में प्रबंध-मंडल का क्या मानना है (अर्थात्, विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव होने का क्या असर पड़ेगा, कच्चा माल मिलने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है या उत्पादों की मार्केटिंग में क्या-क्या- मुश्किलें आती हैं, काफी ज्यादा लागत आना / समय लगना, आदि)।
4. सतत प्रकटीकरण अपेक्षा : विकल्प या एसएआर पाने वाले कर्मचारियों को उन सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ भी दी जाएंगी जो कंपनी के सदस्यों को भेजे जाते हैं। जिसमें शामिल हैं - कंपनी के वार्षिक लेखे और साथ ही बैठकों की सूचना (नोटिस) तथा उनके साथ भेजे जाने वाले व्याख्यात्मक विवरण (एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट)।

ग: स्कीम की मुख्य-मुख्य बातें

इस भाग में कंपनी की स्कीम की मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं - अधिकार मिलने, अधिकार का प्रयोग किए जाने, कंपनी कार्रवाइयों के संबंध में समायोजन, और यथास्थिति, मिले विकल्पों (ऑप्शन) / एसएआर को जब्त किए जाने संबंधी शर्तें। यदि कर्मचारी को पहले दिए गए ग्रांट के संबंध में पहले ही उपरोक्त जानकारी दे दी गई हो, और तब से स्कीम में कोई भी बदलाव न हुआ हो, तो इस भाग को शामिल करना जरूरी नहीं होगा। यदि स्कीम का कामकाज देखने वाला (फिर चाहे कामकाज कंपनी स्वयं देख रही हो या इसके लिए किसी बाहरी सिक्यूरिटी फर्म को नियुक्त किया गया हो) विकल्प पाने वाले कर्मचारियों को, यथास्थिति, विकल्पों या एसएआर के तहत अधिकार का प्रयोग किए जाने या उनके परिणामस्वरूप मिलने वाले शेयरों की बिक्री के संबंध में सलाहकार सेवाएँ देता हो, तो इस प्रकार जो भी सलाह दी जाए उसके साथ कंसंट्रेशन और अन्य जोखिमों के संबंध में उपयुक्त प्रकटीकरण जरूर कर दिए जाएँ। स्कीम का कामकाज देखने वाला ऐसे वैश्वासिक संबंध की बाबत उपयुक्त आचार संहिता का पालन करेगा।

अनुसूची -II**[विनियम 32(1) देखें]**

जिस साधारण बैठक में स्वेट इक्विटी जारी किए जाने के संबंध में मंजूरी प्रदान करने के लिए संकल्प पारित किए जाने का प्रस्ताव है उस साधारण बैठक की सूचना (नोटिस) के साथ दिए जाने वाले व्याख्यात्मक विवरण और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित संकल्प में, अन्य बातों के साथ-साथ, नीचे दी गई जानकारी दी जाएगी :

- (क) स्वेट इक्विटी के रूप में जारी किए जाने वाले शेयरों की कुल संख्या कितनी है ।
- (ख) कंपनी के शेयरों की मौजूदा बाजार कीमत क्या है ।
- (ग) कर्मचारी या निदेशक से प्राप्त होने वाले ज्ञान या बौद्धिक संपदा अधिकारों या वैल्यू एडिशन के मूल्यांकन का उल्लेख करने के साथ-साथ उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट भी लगाई जाए / मूल्यांकन का आधार भी बताया जाए ।
- (घ) उन कर्मचारियों या निदेशकों या संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) के नाम, जिन्हें स्वेट इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे और साथ ही यह भी बताया जाए कि उनका कंपनी से क्या संबंध है ।
- (ङ) स्वेट इक्विटी के लिए कितना प्रतिफल अदा किया जाएगा इसका उल्लेख किया जाए।
- (च) वह कीमत बताई जाए जिस पर स्वेट इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे ।
- (छ) प्रबंध-मंडल में शामिल व्यक्ति को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा (यदि कोई हो) का उल्लेख किया जाए, जिस पर ऐसे इक्विटी शेयर जारी किए जाने का असर पड़ेगा ।
- (ज) इस आशय का एक कथन किया जाए कि कंपनी बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित लेखा नीतियों का पालन करेगी ।
- (झ) प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) जारी किए जाने के बाद, अंतरराष्ट्रीय लेखा मानकों / केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लेखा मानकों के अनुसार, घटाकर निकाली गई आमदनी प्रति शेयर का उल्लेख किया जाए ।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./197/2021-22]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 13th August, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SHARE BASED EMPLOYEE BENEFITS AND SWEAT EQUITY) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/40.—In exercise of the powers conferred by sections 11, 11A and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with sections 54 and 62 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and rules 8 and 12 of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, to provide for regulation of sweat equity shares and all schemes by companies for the benefit of their employees involving dealing in shares, directly or indirectly, with a view to facilitate smooth operation of such schemes while preventing any possible manipulation and matters connected therewith or incidental thereto, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations, namely: –

CHAPTER I**PRELIMINARY****1. Short title, commencement and application.**

- (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- (3) The provisions of these regulations shall apply to the following: -
- (i) employee stock option schemes;
 - (ii) employee stock purchase schemes;
 - (iii) stock appreciation rights schemes;
 - (iv) general employee benefits schemes;
 - (v) retirement benefit schemes; and
 - (vi) sweat equity shares.
- (4) The provisions of these regulations shall apply to any company whose equity shares are listed on a recognised stock exchange in India and who seeks to issue sweat equity shares or has a scheme:-
- (i) for direct or indirect benefit of employees;
 - (ii) involving dealing in or subscribing to or purchasing securities of the company, directly or indirectly; and
 - (iii) satisfying, directly or indirectly, any one of the following conditions: -
 - (a) the scheme is set up by the company or any other company in its group.
 - (b) the scheme is funded or guaranteed by the company or any other company in its group.
 - (c) the scheme is controlled or managed by the company or any other company in its group.
- (5) The provisions pertaining to preferential issue as specified in the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 shall not be applicable in case of a company issuing new shares in pursuance and compliance of these regulations except wherever specifically provided for in these regulations.

2. Definitions.

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the following words, expressions and derivations therefrom shall have the meanings assigned to them as under,—
- (a) “Act” means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
 - (b) “appreciation” means the difference between the market price of the share of a company on the date of exercise of SAR or the date of vesting of SAR, as the case may be, and the SAR price;
 - (c) “associate company” shall have the same meaning as defined under section 2(6) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
 - (d) “Board” means the Securities and Exchange Board of India;
 - (e) “company” shall have the same meaning as defined under section 2(20) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
 - (f) “control” shall have the same meaning as defined under the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - (g) “director” shall have the same meaning as defined under section 2(34) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
 - (h) “emergency” means a situation wherein the trust is in need of funds to meet the commitment(s) arising out of the objective(s) of the scheme;
 - (i) “employee”, except in relation to issue of sweat equity shares, means, —
 - (i) an employee as designated by the company, who is exclusively working in India or outside India; or
 - (ii) a director of the company, whether a whole time director or not, including a non-executive director who is not a promoter or member of the promoter group, but excluding an independent director; or
 - (iii) an employee as defined in sub-clauses (i) or (ii), of a group company including subsidiary or its associate company, in India or outside India, or of a holding company of the company, but does not include—

- (a) an employee who is a promoter or a person belonging to the promoter group; or
- (b) a director who, either himself or through his relative or through any body corporate, directly or indirectly, holds more than ten per cent of the outstanding equity shares of the company;
- (j) “employee stock option scheme or ESOS” means a scheme under which a company grants employee stock options to employees directly or through a trust;
- (k) “employee stock purchase scheme or ESPS” means a scheme under which a company offers shares to employees, as part of public issue or otherwise, or through a trust where the trust may undertake secondary acquisition for the purposes of the scheme;
- (l) “exercise” means making of an application by an employee to the company or to the trust for issue of shares or appreciation in form of cash, as the case may be, against vested options or vested SARs in pursuance of the schemes covered under Part A or Part C of Chapter III of these regulations, as the case may be;
- (m) “exercise period” means the time period after vesting within which an employee can exercise his/her right to apply for shares against the vested option or appreciation against vested SAR in pursuance of the schemes covered under Part A or Part C of Chapter III of these regulations, as the case may be;
- (n) “exercise price” means the price, if any, payable by an employee for exercising the option or SAR granted to such an employee in pursuance of the schemes covered under Part A or Part C of Chapter III of these regulations, as the case may be;
- (o) “general employee benefits scheme or GEBS” means any scheme of a company framed in accordance with these regulations, dealing in shares of the company or the shares of its listed holding company, for the purpose of employee welfare including healthcare benefits, hospital care or benefits, or benefits in the event of sickness, accident, disability, death or scholarship funds, or such other benefit as specified by such company;
- (p) “grant” means the process by which the company issues options, SARs, shares or any other benefits under any of the schemes;
- (q) “grant date” means the date on which the compensation committee approves the grant.
Explanation,—For accounting purposes, the grant date will be determined in accordance with applicable accounting standards;
- (r) “group” means two or more companies which, directly or indirectly, are in a position to—
 - (i) exercise twenty-six per cent. or more of the voting rights in the other company; or
 - (ii) appoint more than fifty per cent. of the members of the Board of Directors in the other company; or
 - (iii) control the management or affairs of the other company;
- (s) “ICAI” means the Institute of Chartered Accountants of India;
- (t) “insider” shall have the same meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- (u) “independent director” shall have the same meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
- (v) “initial public offer or IPO” shall have the same meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
- (w) “key managerial personnel” shall have the same meaning as defined under section 2(51) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (x) “market price” means the latest available closing price on a recognised stock exchange on which the shares of the company are listed on the date immediately prior to the relevant date.

Explanation,—If such shares are listed on more than one recognised stock exchange, then the closing price on the recognised stock exchange having higher trading volume shall be considered as the market price;

- (y) **“merchant banker” means a merchant banker as defined under regulation 2(1)(cb) of the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, which is registered under section 12 of the Act;**
- (z) “option” means the option given to an employee which gives such an employee a right to purchase or subscribe at a future date, the shares offered by the company, directly or indirectly, at a pre-determined price;
- (aa) “option grantee” means an employee having a right but not an obligation to exercise an option in pursuance of an ESOS;
- (bb) “pre-IPO scheme” means any scheme formulated prior to the initial public offer of the company and prior to the listing of its equity shares on a recognised stock exchange;
- (cc) “promoter” shall have the same meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
- (dd) “promoter group” shall have the same meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
- (ee) “recognised stock exchange” means a stock exchange which has been granted recognition under section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);
- (ff) **“registrar” means a registrar to an issue as defined under regulation 2(f) of the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 and includes a share transfer agent as defined under regulation 2(g) thereof, which is registered under section 12 of the Act;**
- (gg) “relative” shall have the same meaning as defined under section 2(77) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (hh) “relevant date” means,-
- a. in the case of grant, the date of the meeting of the compensation committee on which the grant is made; or
 - b. in the case of exercise, the date on which the notice of exercise is given to the company or to the trust by the employee;
- (ii) “retirement benefit scheme or RBS” means a scheme of a company framed in accordance with these regulations, dealing in shares of the company or the shares of its listed holding company, for providing retirement benefits to the employees subject to compliance with existing rules and regulations as applicable under laws relevant to retirement benefits in India;
- (jj) “SAR grantee” means an employee to whom a SAR is granted;
- (kk) “SAR price” means the base price defined on the grant date of SAR for the purpose of computing appreciation;
- (ll) “scheme” means a scheme of a company proposing to provide share based benefits to its employees under Chapters III of these regulations, which may be implemented and administered directly by such company or through a trust, in accordance with these regulations;
- (mm) “securities” means securities as defined in section 2(h) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);
- (nn) “secondary acquisition” means acquisition of existing shares of the company by the trust on the platform of a recognised stock exchange for cash consideration;
- (oo) “secretarial auditor” means a company secretary in practice appointed by a company under rule 8 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 to conduct secretarial audit pursuant to regulation 24A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

- (pp) “share” means equity shares and securities convertible into equity shares and includes American Depository Receipts, Global Depository Receipts or other depository receipts representing underlying equity shares or securities convertible into equity shares;
- (qq) “stock appreciation right or SAR” means a right given to a SAR grantee entitling him to receive appreciation for a specified number of shares of the company where the settlement of such appreciation may be made by way of cash payment or shares of the company.

Explanation 1,—A SAR settled by way of shares of the company shall be referred to as equity settled SAR.

Explanation 2,—For the purpose of these regulations, any reference to stock appreciation right or SAR shall mean equity settled SARs and does not include any scheme which does not, directly or indirectly, involve dealing in or subscribing to or purchasing, securities of the company.

- (rr) “stock appreciation right scheme or SAR scheme” means a scheme under which a company grants SAR to employees;
- (ss) “sweat equity shares” means sweat equity shares as defined in sub-section (88) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (tt) “Schedule” means a schedule annexed to these regulations;
- (uu) “trust” means a trust established under the provisions of the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882) including any statutory modification or re-enactment thereof, for implementing any of the schemes covered by these regulations;
- (vv) “trustee” means the trustee of the trust;
- (ww) “valuer” means an independent chartered accountant or a merchant banker appointed to determine the valuation of know-how or intellectual property rights or value addition;
- (xx) “vesting” means the process by which the employee becomes entitled to receive the benefit of a grant made to him/her under any of the schemes;
- (yy) “vesting period” means the period during which the vesting of option, SAR or a benefit granted under any of the schemes takes place;

- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and any statutory modification or re-enactment thereto, shall have the meanings respectively assigned to them in those legislations.

CHAPTER II

SCHEMES—IMPLEMENTATION AND PROCESS

3. Implementation of schemes through trust.

- (1) A company may implement a scheme(s) either directly or by setting up an irrevocable trust(s):

Provided that if the scheme is to be implemented through a trust, the same has to be decided upfront at the time of taking approval of the shareholders for setting up the scheme(s):

Provided further that if prevailing circumstances so warrant, the company may change the mode of implementation of the scheme subject to the condition that a fresh approval of the shareholders by a special resolution is obtained prior to implementing such a change and that such a change is not prejudicial to the interests of the employees:

Provided further that if the scheme(s) involves secondary acquisition or gift or both, then it shall be mandatory for the company to implement such scheme(s) through a trust(s).

- (2) A company may implement several schemes as permitted under these regulations through a single trust:

Provided that such single trust shall keep and maintain proper books of account, records and documents for each scheme so as to explain its transactions and to disclose at any point of time, the

financial position of each scheme and in particular give a true and fair view of the state of affairs of each scheme.

- (3) The trust deed, under which the trust is formed, shall contain provisions as specified in Part A of Schedule – I of these regulations and such trust deed and any modifications thereto shall be mandatorily filed with the recognised stock exchange(s) in India where the shares of the company are listed.
- (4) **Any person can be appointed as a trustee of the trust, except in cases where such person—**
- is a director, key managerial personnel or promoter of the company or its group company including its holding, subsidiary or associate company or any relative of such director, key managerial personnel or promoter; or
 - beneficially holds ten percent or more of the paid-up share capital or the voting rights of the company:

Provided that where individual(s) or “one person company” as defined under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) is appointed as trustee(s), there shall be a minimum of two such trustees, and in case a corporate entity is appointed as a trustee, then it may be the sole trustee.

- (5) The trustees of a trust, which is governed under these regulations, shall not vote in respect of the shares held by such trust, so as to avoid any misuse arising out of exercising such voting rights.
- (6) The trustee should ensure that the requisite approval from the shareholders has been obtained by the company in order to enable the trust to implement the scheme(s) and undertake secondary acquisition for the purposes of the scheme(s).
- (7) The trust shall not deal in derivatives and shall undertake only delivery-based transactions for the purposes of secondary acquisition as permitted by these regulations.
- (8) Subject to the requirements of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) read with Companies (Share Capital and Debenture) Rules, 2014, as amended from time to time, as may be applicable, the company may lend monies to the trust on appropriate terms and conditions to acquire the shares either through new issue or secondary acquisition, for the purpose of implementation of the scheme(s).
- (9) For the purpose of disclosures to the recognised stock exchange, the shareholding of the trust shall be shown as “non-promoter and non-public” shareholding.

Explanation,—The shares held by the trust shall not form part of the public shareholding which needs to be maintained at a minimum of twenty five per cent as prescribed under the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957.

- (10) Secondary acquisition in a financial year by the trust shall not exceed two per cent of the paid up equity capital of the company as at the end of the previous financial year.
- (11) The total number of shares under secondary acquisition held by the trust shall at no point of time exceed the below mentioned limits as a percentage of the paid up equity capital of the company as at the end of the financial year immediately prior to the year in which the shareholders’ approval is obtained for such secondary acquisition:

Sr. No.	Particulars	Limit
A	For the schemes enumerated in Part A, Part B or Part C of Chapter III of these regulations	5%
B	For the schemes enumerated in Part D or Part E of Chapter III of these regulations	2%
C	For all the schemes in aggregate	5%

Explanation 1,—The above limits shall automatically include within their ambit the expanded or reduced capital of the company where such expansion or reduction has taken place on account of corporate action(s) including issue of bonus shares, split, rights issue, buy-back or scheme of arrangement.

Explanation 2,— If a company has multiple trusts and schemes, the aforesaid ceiling limit shall be applicable for all such trusts and schemes taken together at the company level and not at the level of individual trust or scheme.

Explanation 3,—The above ceiling limit will not be applicable where shares are allotted to the trust by way of new issue or gift from promoter or promoter group or other shareholders.

Explanation 4,—In the event that the options, shares or SAR granted under any of the schemes exceeds the number of shares that the trust may acquire through secondary acquisition, then such shortfall of shares shall be made up by the company through new issue of shares to the trust in accordance with the provisions of new issue of shares under the applicable laws.

- (12) The unappropriated inventory of shares which are not backed by grants, acquired through secondary acquisition by the trust under Part A, Part B or Part C of Chapter III of these regulations, shall be appropriated within a reasonable period which shall not extend beyond the end of the subsequent financial year, or the second subsequent financial year subject to approval of the compensation committee/nomination and remuneration committee for such extension to the second subsequent financial year.
- (13) The trust shall be required to hold the shares acquired through secondary acquisition for a minimum period of six months except where they are required to be transferred in the circumstances enumerated in clause (b) of sub-regulation (14), whether off-market or on the platform of recognised stock exchange.
- (14) The trust shall be permitted to undertake off-market transfer of shares only under the following circumstances: -
 - (a) transfer to the employees pursuant to scheme(s);
 - (b) while participating in an open offer under the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 or while participating in a buy-back, delisting or any other exit offered by the company generally to its shareholders.
- (15) The trust shall not become a mechanism for trading in shares and hence shall not sell the shares in secondary market except under the following circumstances:
 - (a) to enable the employee to fund the payment of the exercise price, the amount necessary to meet his/her tax obligations and other related expenses pursuant to exercise of options granted under the ESOS;
 - (b) on vesting or exercise, as the case may be, of SAR under the scheme covered by Part C of Chapter III of these regulations;
 - (c) in case of emergency for implementing the schemes covered under Part D and Part E of Chapter III of these regulations, and for this purpose -
 - a. the trustee(s) shall record the reasons for such sale; and
 - b. money so realised on sale of shares shall be utilised within a definite time period as stipulated under the scheme or trust deed.
 - (d) participation in buy-back or open offers or delisting offers or any other exit offered by the company generally to its shareholders, if required;
 - (e) for repaying the loan, if the unappropriated inventory of shares held by the trust is not appropriated within the timeline as provided under sub-regulation (12);
 - (f) winding up of the scheme(s); and
 - (g) based on approval granted by the Board to an applicant, for the reasons recorded in writing in respect of the schemes covered by Part A or Part B or Part C of Chapter III of these regulations, upon payment of a non-refundable fee of rupees one lakh to the Board along with the application by way of direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by the Reserve Bank of India.
- (16) The trust shall be required to make disclosures and comply with the other requirements applicable to

insiders or promoters under the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 or any modification or re-enactment thereto.

4. Eligibility.

An employee shall be eligible to participate in the schemes of the company as determined by the compensation committee.

Explanation,—Where such employee is a director nominated by an institution as its representative on the Board of Directors of the company –

- (i) the contract or agreement entered into between the institution nominating its employee as the director of a company and the director so appointed shall, *inter alia*, specify the following:-
 - a. whether the grants by the company under its scheme(s) can be accepted by the said employee in his capacity as director of the company;
 - b. that grant if made to the director, shall not be renounced in favour of the nominating institution; and
 - c. the conditions subject to which fees, commissions, other incentives, etc. can be accepted by the director from the company.
- (ii) the institution nominating its employee as a director of the company shall file a copy of the contract or agreement with the said company, which shall, in turn file the copy with all the recognised stock exchanges on which its shares are listed.
- (iii) the director so appointed shall furnish a copy of the contract or agreement at the first board meeting of the company attended by him after his nomination.

5. Compensation committee.

- (1) A company shall constitute a compensation committee for administration and superintendence of the schemes:

Provided that where the scheme is being implemented through a trust the compensation committee shall delegate the administration of such scheme(s) to the trust.

- (2) The compensation committee shall be a committee of such members of the Board of Directors of the company as provided under regulation 19 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time:

Provided that a company may also opt to designate its nomination and remuneration committee as the compensation committee for the purposes of these regulations.

- (3) The compensation committee shall, *inter alia*, formulate the detailed terms and conditions of the schemes which shall include the provisions as specified in Part B of Schedule – I of these regulations.
- (4) The compensation committee shall frame suitable policies and procedures to ensure that there is no violation of securities laws including the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices Relating to the Securities Market) Regulations, 2003, as amended from time to time, by the trust, the company and its employees, as may be applicable.

6. Shareholders' approval.

- (1) No scheme shall be offered to employees of a company unless the shareholders of the company approve it by passing a special resolution in the general meeting.
- (2) The explanatory statement to the notice and the resolution proposed to be passed by shareholders for the schemes shall contain the information as specified in Part C of Schedule – I of these regulations or as otherwise specified by the Board.
- (3) Approval of shareholders by way of separate resolution in the general meeting shall be obtained by the company in case of:

- a. Secondary acquisition for implementation of the schemes. Explanation,—For the purpose of this clause, the approval shall mention the percentage of secondary acquisition (subject to limits specified under these regulations) that can be undertaken;
- b. Secondary acquisition by the trust in case the share capital expands due to capital expansion undertaken by the company including preferential allotment of shares or qualified institutions placement, to maintain the five per cent. cap specified under sub-regulation (11) of regulation 3 of these regulations, of such increased capital of the company;
- c. Grant of option, SAR, shares or other benefits, as the case may be, to employees of subsidiary or holding company;
- d. Grant of option, SAR, shares or benefits, as the case may be, to identified employees, during any one year, equal to or exceeding one per cent. of the issued capital (excluding outstanding warrants and conversions) of the company at the time of grant of option, SAR, shares or incentive, as the case may be.

7. Variation of terms of the schemes.

- (1) A company may by special resolution of its shareholders vary the terms of the schemes offered pursuant to an earlier resolution of the general body but not yet exercised by the employees, if such variation is not prejudicial to the interests of the employees
- (2) Notwithstanding the provisions of sub-regulation (1), a company shall be entitled to vary the terms of the schemes to meet any regulatory requirement without seeking shareholders' approval by special resolution.
- (3) The provisions of regulation 6 of these regulations shall apply to such variation of terms as they apply to the original grant of option, SAR, shares or other benefits, as the case may be.
- (4) The notice for passing a special resolution for variation of terms of the schemes shall disclose full details of the variation, the rationale therefor, and the details of the employees who are beneficiaries of such variation.
- (5) A company may reprice the options, SAR or shares, as the case may be, which are not exercised, whether or not they have been vested, if the schemes were rendered unattractive due to fall in the price of the shares in the stock market:

Provided that the company ensures that such repricing is not detrimental to the interests of the employees and approval of the shareholders by a special resolution has been obtained for such repricing.

8. Winding up of the schemes.

In case of winding up of the schemes being implemented by a company, the excess monies or shares remaining with the trust after meeting all the obligations, if any, shall be utilised for repayment of loan or by way of distribution to employees or subject to approval of the shareholders, be transferred to another scheme under these regulations, as recommended by the compensation committee.

9. Non-transferability.

- (1) Option, SAR or any other benefit granted to an employee under the regulations shall not be transferable to any person.
- (2) No person, other than the employee to whom the option, SAR or other benefit is granted, shall be entitled to the benefit arising out of such option, SAR or other benefit:

Provided that in case of ESOS or SAR, subject to applicable laws, the company or the trustee may fund or permit the empanelled stock brokers to make suitable arrangements to fund the employee for payment of exercise price, the amount necessary to meet his/her tax obligations and other related expenses pursuant to exercise of options granted under the ESOS or SAR and such amount shall be adjusted against the sale proceeds of some or all the shares of such employee.

- (3) The option, SAR, or any other benefit granted to the employee shall not be pledged, hypothecated,

mortgaged or otherwise alienated in any other manner.

- (4) In the event of death of the employee while in employment, all the options, SAR or any other benefit granted under a scheme to him/her till his/her death shall vest, with effect from the date of his/her death, in the legal heirs or nominees of the deceased employee, as the case may be.
- (5) In case the employee suffers a permanent incapacity while in employment, all the options, SAR or any other benefit granted to him/her under a scheme as on the date of permanent incapacitation, shall vest in him/her on that day.
- (6) In the event of resignation or termination of an employee, all the options, SAR or any other benefit which are granted and yet not vested as on that day, shall expire:

Provided that an employee shall, subject to the terms and conditions formulated by the compensation committee under sub-regulation (3) of regulation 5 of these regulations, be entitled to retain all the vested options, SAR or any other benefit covered by these regulations.

Explanation,—The cessation of employment due to retirement or superannuation shall not be covered by this sub-regulation, and such options, SAR or any other benefit granted to an employee would continue to vest in accordance with the respective vesting schedules even after retirement or superannuation in accordance with the company's policies and the applicable law.

- (7) In the event that an employee, who has been granted benefits under a scheme, is transferred or deputed to an associate company prior to vesting or exercise, the vesting and exercise as per the terms of grant shall continue in case of such transferred or deputed employee even after the transfer or deputation.
- (8) In the event that an employee who has been granted benefits under a scheme, is transferred pursuant to scheme of arrangement, amalgamation, merger or demerger or continued in the existing company, prior to the vesting or exercise, the treatment of options in such case shall be specified in such scheme of arrangement, amalgamation, merger or demerger provided that such treatment shall not be prejudicial to the interest of the employee.

10. Listing.

In case a new issue of shares is made under any scheme, shares so issued shall be listed immediately on all recognised stock exchange(s) where the existing shares are listed, subject to the following conditions:

- (a) The scheme is in compliance with these regulations;
- (b) A statement, as specified in Part D of Schedule – I of these regulations, is filed and the company obtains an in-principle approval from the recognised stock exchange(s);
- (c) As and when an exercise is made, the company notifies the concerned recognised stock exchange(s) as per the statement as specified in Part E of Schedule – I of these regulations.

11. Schemes implemented by unlisted companies.

The shares arising after the IPO of an unlisted company, out of options or SAR granted under any scheme prior to its IPO to the employees, shall be listed immediately upon exercise on all the recognised stock exchanges where the shares of the company are listed subject to compliance with the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and wherever applicable, sub-regulation (1) of regulation 12 of these regulations.

12. Compliances and conditions.

- (1) No company shall make any fresh grant which involves allotment or transfer of shares to its employees under any scheme formulated prior to its IPO and prior to the listing of its equity shares ('pre-IPO scheme') unless:
 - (i) Such pre-IPO scheme is in conformity with these regulations; and
 - (ii) Such pre-IPO scheme is ratified by its shareholders subsequent to the IPO:

Provided that the ratification under clause (ii) may be done any time prior to grant of new

options or shares or SAR under such pre-IPO scheme.

- (2) No change shall be made in the terms of options or shares or SAR issued under such pre-IPO schemes, whether by repricing, change in vesting period or maturity or otherwise unless prior approval of the shareholders, by way of special resolutions, is taken for such a change, except for any adjustments for corporate actions made in accordance with these regulations.
- (3) For listing of shares issued pursuant to ESOS, ESPS or SAR, the company shall obtain the in-principle approval of the recognized stock exchanges where it proposes to list the said shares prior to the grant of options or SARs.
- (4) When the holding company issues option, share, SAR or benefits to the employees of its subsidiary, the cost incurred by the holding company for issuing such option, share, SAR or benefits shall be disclosed in the 'notes to accounts' of the financial statements of the subsidiary company.
- (5) In a case falling under sub-regulation (4), if the subsidiary reimburses the cost incurred by the holding company in granting option, share, SAR or benefits to the employees of the subsidiary, both the subsidiary as well as the holding company shall disclose the payment or receipt, as the case may be, in the 'notes to accounts' to their financial statements.
- (6) The company shall appoint a merchant banker for the implementation of schemes covered by these regulations till the stage of obtaining in-principle approval from the recognized stock exchanges in accordance with clause (b) of regulation 10 of these regulations.

13. Certificate from auditors.

In the case of every company which has passed a resolution for the scheme(s) under these regulations, the Board of Directors shall at each annual general meeting place before the shareholders a certificate from the secretarial auditors of the company that the scheme(s) has been implemented in accordance with these regulations and in accordance with the resolution of the company in the general meeting.

14. Disclosures.

In addition to the information that a company is required to disclose in relation to employee benefits under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Board of Directors of such a company shall also disclose the details of the scheme(s) being implemented, as specified in Part F of Schedule – I of these regulations.

15. Accounting policies.

Any company implementing any of the share based schemes shall follow the requirements including the disclosure requirements of the Accounting Standards prescribed by the Central Government in terms of section 133 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) including any 'Guidance Note on Accounting for employee share-based Payments' issued in that regard from time to time,

CHAPTER III

ADMINISTRATION OF SPECIFIC SCHEMES

PART A: EMPLOYEE STOCK OPTION SCHEME (ESOS)

16. Administration and implementation.

- (1) Subject to the provisions of these regulations, an ESOS shall contain the details of the manner in which the scheme will be implemented and operated.
- (2) No ESOS shall be offered unless the disclosures, as specified in Part G of Schedule – I of these regulations, are made by the company to the prospective option grantees.

17. Pricing.

The company granting options to its employees pursuant to an ESOS shall be free to determine the exercise price subject to conforming to the accounting policies specified in regulation 15 of these

regulations.

18. Vesting period.

- (1) There shall be a minimum vesting period of one year in case of ESOS:

Provided that in case where options are granted by a company under an ESOS in lieu of options held by an employee under an ESOS in another company which has merged, demerged, arranged or amalgamated with the first mentioned company, the period during which the options granted by the transferor company were held by such employee shall be adjusted against the minimum vesting period required under this sub-regulation:

Provided further that in the event of death or permanent incapacity of an employee, the minimum vesting period of one year shall not be applicable and in such instances, the options shall vest in terms of sub-regulation (4) of regulation 9 of these regulations, on the date of the death or permanent incapacity.

Explanation,—The company implementing an ESOS shall frame an appropriate policy with respect to the death or permanent incapacity of an employee, subject to compliance with applicable laws.

- (2) The company may specify the lock-in period for the shares issued pursuant to exercise of an option.

19. Rights of the option holder.

An employee shall not have the right to receive any dividend or to vote or in any manner enjoy the benefits available to a shareholder in respect of an option granted to him/her, till shares are issued to him/her upon exercise of the option.

20. Consequence of failure to exercise an option.

The amount paid by the employee, if any, at the time of grant, vesting or exercise of option—

- (a) may be forfeited by the company if the option is not exercised by the employee within the exercise period; or
- (b) may be refunded to the employee if the options are not vested due to non-fulfilment of conditions relating to vesting of option as per the ESOS.

PART B: EMPLOYEE STOCK PURCHASE SCHEME (ESPS)

21. Administration and implementation.

Subject to the provisions of these regulations, an ESPS shall contain the details of the manner in which the scheme will be implemented and operated.

22. Pricing and lock-in.

- (1) A company may determine the price of shares to be issued under an ESPS, subject to conforming to the accounting policies specified under regulation 15 of these regulations.
- (2) Shares issued under an ESPS shall be locked-in for a minimum period of one year from the date of allotment:

Provided that in case where shares are allotted by a company under an ESPS in lieu of shares acquired by the employee under an ESPS in another company which has merged or amalgamated with the first mentioned company, the lock-in period already undergone in respect of shares of the transferor company shall be adjusted against the lock-in period required under this sub-regulation.

Provided further that in the event of death or permanent incapacity of an employee, the requirement of lock-in shall not be applicable from the date of death or permanent incapacity.

- (3) If ESPS is part of a public issue and the shares are issued to employees at the same price as in the public issue, the shares issued to employees pursuant to ESPS shall not be subject to any lock-in.

PART C : STOCK APPRECIATION RIGHTS SCHEME (SAR SCHEME)

23. Administration and implementation.

- (1) Subject to the provisions of these regulations, a SAR scheme shall contain the details of the manner in which the scheme will be implemented and operated.
- (2) Subject to the provisions of these regulations, a company shall be free to implement cash settled or equity settled SAR scheme:
Provided that in case of equity settled SAR scheme, if the settlement results in fractional shares, then the consideration for fractional shares should be settled in cash.
- (3) No SAR shall be offered under any SAR scheme unless the disclosures, as specified in Part G of Schedule – I of these regulations, are made by the company to the prospective SAR grantees.

24. Vesting.

There shall be a minimum vesting period of one year in case of SAR scheme:

Provided that in a case where SAR is granted by a company under a SAR scheme in lieu of SAR held by the employee under a SAR scheme in another company which has merged or amalgamated with the first mentioned company, the period during which the SAR granted by the transferor company were held by the employee shall be adjusted against the minimum vesting period required under this sub-regulation:

Provided further that in the event of death or permanent incapacity, the minimum vesting period of one year shall not be applicable and in such instances, the options shall vest on the date of death or permanent incapacity.

Explanation,—The company implementing a SAR scheme shall frame an appropriate policy with respect to the death or permanent incapacity of an employee, subject to compliance with applicable laws.

25. Rights of the SAR holder.

The employee holding a SAR shall not have the right to receive dividend or to vote or in any manner enjoy the benefits available to a shareholder in respect of a SAR granted to him/her.

PART D: GENERAL EMPLOYEE BENEFITS SCHEME (GEBS)

26. Administration and implementation.

- (1) Subject to the provisions of these regulations, GEBS shall contain the details of the scheme and the manner in which the scheme shall be implemented and operated.
- (2) The shares of the company or shares of its listed holding company shall not exceed ten per cent of the book value or market value or fair value of the total assets of the scheme, whichever is lower, as appearing in its latest balance sheet (whether audited or limited reviewed) for the purposes of GEBS.
- (3) The secretarial auditor of the company shall certify compliance with sub-regulation (2) at the time of adoption of such balance sheet by the company.

PART E: RETIREMENT BENEFIT SCHEME (RBS)

27. Administration and implementation.

- (1) Retirement benefit scheme may be implemented by a company subject to compliance with these regulations and provisions of any other law in force in relation to retirement benefits.
- (2) The retirement benefit scheme shall contain the details of the benefits under the scheme and the manner in which the scheme shall be implemented and operated.
- (3) The shares of the company or shares of its listed holding company shall not exceed ten per cent of the book value or market value or fair value of the total assets of the scheme, whichever is lower, as appearing in its latest balance sheet (whether audited or limited reviewed) for the purposes of RBS.
- (4) The secretarial auditor of the company shall certify compliance with sub-regulation (3) at the time of adoption of such balance sheet by the company.

CHAPTER IV
ISSUE OF SWEAT EQUITY BY A LISTED COMPANY

PART –A

28. Applicability

Nothing contained in this chapter shall apply to an unlisted company:

Provided that an unlisted company coming out with initial public offer and seeking listing of its securities on the recognized stock exchange, pursuant to issue of sweat equity shares, shall comply with the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirement) Regulations, 2018.

29. Definition of employee in relation to issue of sweat equity shares:

For the purpose of this chapter, the term ‘employee’ means,

- (i) an employee of the company working in India or abroad; or
- (ii) a director of the company whether a whole time director or not.

30. Issue of sweat equity shares to employees.

A company whose equity shares are listed on a recognised stock exchange may issue sweat equity shares in accordance with section 54 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and these regulations to its employees for their providing know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights or value additions, by whatever name called.

31. Maximum quantum of sweat equity shares

A company shall not issue sweat equity shares for more than fifteen percent of the existing paid up equity share capital in a year:

Provided that the issuance of sweat equity shares in the company shall not exceed twenty five percent of the paid up equity share capital of the company at any time:

Provided further that a company listed on Innovators Growth Platform shall be permitted to issue not more than fifteen percent of the paid up equity share capital in a financial year subject to overall limit not exceeding fifty percent of the paid up equity share capital of the company, up to ten years from the date of its incorporation or registration.

32. Special resolution.

- (1) For the purposes of passing a special resolution under clause (a) of sub-section (1) of section 54 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the explanatory statement to be annexed to the notice for the general meeting pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall contain disclosures as specified in the Schedule – II of these regulations.
- (2) The issue of sweat equity shares to employees who belong to promoter or promoter group shall be approved by way of a resolution passed by a simple majority of the shareholders in general meeting:
Provided that for passing such a resolution, voting through postal ballot and/or e-voting as specified under Companies (Management and Administration) Rules, 2014 shall also be adopted;
Provided further that the promoters/promoter group shall not participate in such resolution.
- (3) Each issue of sweat equity shares shall be voted by a separate resolution.
- (4) The resolution for issue of sweat equity shares shall be valid for a period of not more than twelve months from the date of passing of the resolution.

33. Pricing of sweat equity shares.

The price of sweat equity shares shall be determined in accordance with the pricing requirements stipulated for a preferential issue to a person other than a qualified institutional buyer under the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

34. Valuation.

- (1) The valuation of the know-how or intellectual property rights or value addition shall be carried out by a merchant banker.
- (2) The merchant banker may consult such experts and valuers, as it may deem fit, having regard to the nature of the industry and the nature of the valuation of know-how or intellectual property rights or value addition.
- (3) The merchant banker shall obtain a certificate from an independent chartered accountant certifying that the valuation of the know-how or intellectual property rights or value addition is in accordance with the relevant accounting standards.

35. Accounting treatment.

Where the sweat equity shares are issued for a non-cash consideration, such non-cash consideration shall be treated in the following manner in the books of account of the company:-

- (a) where the non-cash consideration takes the form of a depreciable or amortizable asset, it shall be carried to the balance sheet of the company in accordance with the relevant accounting standards; or
- (b) where clause (a) is not applicable, it shall be expensed as provided in the relevant accounting standards.

36. Placing of auditor's certificate before annual general meeting.

In the general meeting subsequent to the issue of sweat equity shares, the Board of Directors shall place before the shareholders, a certificate from the secretarial auditor of the company that the issue of sweat equity shares has been made in accordance with these regulations and in accordance with the resolution passed by the company authorizing the issue of such sweat equity shares.

37. Ceiling on managerial remuneration.

The amount of sweat equity shares issued shall be treated as part of managerial remuneration for the purpose of sections 196, 197 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), if the following conditions are fulfilled:

- (i) the sweat equity shares are issued to any director or manager; and
- (ii) the sweat equity shares are issued for non-cash consideration, which does not take the form of an asset which can be carried to the balance sheet of the company in accordance with the relevant accounting standards.

38. Lock-in of sweat equity shares.

- (1) The sweat equity shares shall be locked in for such period of time as specified in relation to a preferential issue under the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended from time to time.
- (2) The provisions of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosures Requirements) Regulations, 2018 in respect of public issue in terms of lock-in and computation of promoters' contribution shall apply if a company makes a public issue after it has issued sweat equity shares.

39. Listing.

The sweat equity shares issued by a listed company shall be eligible for listing subject to their issuance being in accordance with these regulations.

40. Applicability of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

Any acquisition of sweat equity shares shall be subject to the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

PART – B : GENERAL OBLIGATIONS

41. Obligations of the company.

The company shall ensure that -

- (a) the explanatory statement to the notice for general meeting contains the disclosures specified under clause (b) of sub-section (1) of section 54 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and sub-regulation (1) of regulation 32 of these regulations.
- (b) the secretarial auditor's certificate required under regulation 36 is placed in the general meeting of the shareholders.
- (c) the company, within seven days of the issue of sweat equity shares, sends a statement to the recognised stock exchange, disclosing:
 - (i) number of sweat equity shares issued;
 - (ii) price at which the sweat equity shares are issued;
 - (iii) total amount received towards sweat equity shares;
 - (iv) details of the persons to whom sweat equity shares have been issued; and
 - (v) the consequent changes in the capital structure and the shareholding pattern before and after the issue of sweat equity shares.

CHAPTER V**POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS****42. Exemption from enforcement of the regulations in special cases.**

- (1) The Board may exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation relating to testing new products, processes, services, business models, etc., in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.
- (2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board.

43. Exemption from enforcement of the regulations in other cases.

- (1) The Board may *suo motu* or on an application made by a company, for reasons recorded in writing, grant relaxation from strict compliance with any of these regulations subject to such conditions as the Board deems fit to impose in the interests of investors in securities and the securities market.
- (2) A company making an application under sub-regulation (1), shall pay a non-refundable fee of rupees one lakh by way of direct credit in the specified bank account of the Board through NEFT/RTGS/IMPS or any other mode allowed by the Reserve bank of India.

CHAPTER VI**MISCELLANEOUS****44. Directions by the Board.**

Without prejudice to provisions of the Act and those of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Board may in case of any violation of these regulations and in the interests of the investors and the securities market issue such directions as it deems fit.

45. Power to remove difficulties.

In order to remove any difficulties in the interpretation and application of the provisions of these regulations, the Board may issue necessary clarifications. The Board may specify such disclosure and process requirements, as may be necessary for protection of interests of investors and securities market and, *inter alia*, for regulation of all schemes, by listed companies for the benefit of their employees, involving dealing, directly or indirectly, in shares and matters connected therewith or incidental thereto.

46. Repeals and savings.

- (1) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and the Securities and Exchange Board of India (Issue of Sweat Equity) Regulations, 2002 are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal,—
 - (a) the previous operation of the repealed regulations or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed regulations, any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any contravention committed against the repealed regulations, or any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid, shall remain unaffected as if the repealed regulations had never been repealed;
 - (b) anything done or any action taken or purported to have been done or taken including any adjudication, enquiry or investigation commenced or show cause notice issued under the repealed regulations prior to such repeal, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations; and
 - (c) after the repeal of the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and the Securities and Exchange Board of India (Issue of Sweat Equity) Regulations, 2002, any reference thereto in any other regulations, guidelines or circulars issued by the Board shall be deemed to be a reference to the corresponding provisions of these regulations.

SCHEDULE – I

Part A- Minimum Provisions in Trust Deed

[See regulation 3(3)]

The trust deed shall, *inter alia*, cover the following:

1. Details of the trust, including:
 - (i) Name of the trust;
 - (ii) Object of the trust;
 - (iii) Details of settlor;
 - (iv) Details of scheme(s) administered;
 - (v) Source(s) of funds;
 - (vi) Description of the manner in which the trust funds shall be used for meeting the objects of the trust;
 - (vii) Description of the classes of beneficiaries along with their rights and obligations;
 - (viii) Details of trustee(s).
2. Powers and duties of trustee(s), including:
 - (i) To frame rules for administration of the scheme(s) in compliance with the scheme documents, object(s) of the trust and these regulations;
 - (ii) To maintain books of account of the trust as required under law including these

regulations;

3. Provisions for dissolution of the trust;
4. Trust deed shall provide that it would be the duty of the trustees to act in the interest of employees who are beneficiaries of the trust and subject to provisions of these regulations, it shall not act in any manner or include any provision in the trust deed that would be detrimental to the interests of the beneficiaries.
5. Such other clauses which are necessary for safeguarding the interests of the beneficiaries.

Part B- Terms and Conditions of schemes to be formulated by the Compensation Committee

[See regulation 5(3)]

The Compensation Committee is required to formulate the detailed terms and conditions of the schemes which shall, *inter alia*, include the following provisions:

- a. the quantum of options, SARs, shares or benefits as the case may be, per employee and in aggregate under a scheme;
- b. the kind of benefits to be granted under a scheme covered by Part D and Part E of Chapter III of these regulations;
- c. the conditions under which options, SARs, shares or other benefits as the case may be, may vest in employees and may lapse in case of termination of employment for misconduct;
- d. the exercise period within which the employee can exercise the options or SARs and that options or SARs would lapse on failure to exercise the same within the exercise period;
- e. the specified time period within which the employee shall exercise the vested options or SARs in the event of termination or resignation;
- f. the right of an employee to exercise all the options or SARs, as the case may be, vested in him at one time or at various points of time within the exercise period;
- g. the procedure for making a fair and reasonable adjustment to the entitlement including adjustment to the number of options/SARs and to the exercise price in case of corporate actions such as rights issues, bonus issues, merger, sale of division and others. In this regard, the following shall, *inter alia*, be taken into consideration by the compensation committee:
 - i. the number and price of options / SARs shall be adjusted in a manner such that total value to the employee of the options / SARs remains the same after the corporate action;
 - ii. the vesting period and the life of the options / SARs shall be left unaltered as far as possible to protect the rights of the employee(s) who is granted such options / SARs;
- h. the grant, vesting and exercise of shares, options or SARs in case of employees who are on long leave;
- i. eligibility to avail benefits under schemes covered by Part D and/or Part E of Chapter III of the regulations in case of employees who are on long leave;
- j. the procedure for funding the exercise of options / SARs; and
- k. the procedure for buy-back of specified securities issued under these regulations, if to be undertaken at any time by the company, and the applicable terms and conditions, including:
 - (i) permissible sources of financing for buy-back;
 - (ii) any minimum financial thresholds to be maintained by the company as per its last financial statements; and
 - (iii) limits upon quantum of specified securities that the company may buy-back in a financial year.

Explanation,—Specified securities means as defined under the Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018

Part C - Contents of the explanatory statement to the notice and resolution for shareholders meeting

[See regulation 6(2)]

The explanatory statement to the notice and the resolution proposed to be passed for the schemes in general meeting shall, *inter alia*, contain the following information:

- a. brief description of the scheme(s);
- b. the total number of options, SARs, shares or benefits, as the case may be, to be offered and granted;
- c. identification of classes of employees entitled to participate and be beneficiaries in the scheme(s);
- d. requirements of vesting and period of vesting;
- e. maximum period (subject to regulation 18(1) and 24(1) of these regulations, as the case may be) within which the options / SARs / benefits shall be vested;
- f. exercise price, SAR price, purchase price or pricing formula;
- g. exercise period/offer period and process of exercise/acceptance of offer;
- h. the appraisal process for determining the eligibility of employees for the scheme(s);
- i. maximum number of options, SARs, shares, as the case may be, to be offered and issued per employee and in aggregate, if any;
- j. maximum quantum of benefits to be provided per employee under a scheme(s);
- k. whether the scheme(s) is to be implemented and administered directly by the company or through a trust;
- l. whether the scheme(s) involves new issue of shares by the company or secondary acquisition by the trust or both;
- m. the amount of loan to be provided for implementation of the scheme(s) by the company to the trust, its tenure, utilization, repayment terms, etc.;
- n. maximum percentage of secondary acquisition (subject to limits specified under the regulations) that can be made by the trust for the purposes of the scheme(s);
- o. a statement to the effect that the company shall conform to the accounting policies specified in regulation 15;
- p. the method which the company shall use to value its options or SARs;
- q. the following statement, if applicable:

'In case the company opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the company shall also be disclosed in the Directors' report';
- r. period of lock-in.
- s. Terms & conditions for buyback, if any, of specified securities covered under these regulations.

Part D- Information required in the statement to be filed with recognised Stock Exchange(s)

*[See regulation 10(b)]***Description of Schemes**

- 1 Authorized Share Capital of the Company.
- 2 Issued Share Capital of the Company as on date of Institution of the scheme/ amendment of the scheme.
- 3 Date of institution of the scheme/ amendment of the scheme.
- 4 Validity period of the scheme.
- 5 Date of notice of AGM/EGM for approving the scheme/for amending the scheme/for approving grants under regulation 6(3) of these regulations.
- 6 Date of AGM/EGM approving the scheme/amending the scheme/approving grants under regulation 6(3) of these regulations.
- 7 Kinds of benefit granted under the scheme.
- 8 Identity of classes of persons eligible under the scheme:
 - a. employees
 - b. employees outside India
 - c. employees of subsidiary
 - d. employees of holding company
 - e. directors, whether whole time directors or not, other than those excluded from the definition of “employee” under these regulations
- 9 Total number of shares reserved under the scheme, as applicable.
- 10 Number of shares entitled under the grant.
- 11 Total number of grants to be made.
- 12 Maximum number of shares, options, SARs or benefits to be granted per employee per grant and in aggregate.
- 13 Exercise price or pricing formula.
- 14 Whether any amount is payable at the time of grant? If so, quantum of such amount.
- 15 Lock-in period under the scheme.
- 16 Vesting period under the scheme.
- 17 Maximum period within which the grant shall be vested.
- 18 Exercise period under the scheme.
- 19 Whether employee can exercise all the options or SARs vested at one time? Yes/No
- 20 Whether employee can exercise vested options or SARs at various points of time within the exercise period? Yes/No
- 21 Whether scheme provides for the procedure for making a fair and reasonable adjustment to the number of options or SARs and to the exercise price in case of rights issues, bonus issues and other corporate actions? Clause in scheme describing such adjustment.
- 22 Description of the appraisal process for determining the eligibility of employees under the scheme.
- 23 The specified time period within which vested options or SARs are to be exercised in the event of termination or resignation of an employee.
- 24 The specified time period within which options or SARs to be exercised in the event of death of the

- employee.
- 25 Whether the scheme provides for conditions under which options, SARs, or benefits vested in employees may lapse in case of termination of employment for misconduct? Clause in Scheme describing such adjustment.
- 26 Whether scheme provides for conditions for the grant, vesting and exercise of options, SARs or benefits in case of employees who are on long leave? Clause in scheme describing such adjustment.
- 27 Whether amount paid/payable by the employee at the time of the grant, vesting or exercise of the options, SARs or benefits will be forfeited if the employee does not exercise the same within the exercise period? Clause in scheme describing such adjustment.
- 28 Details of approval of shareholders pursuant to regulation 6(3) of these regulations with respect to:
- a. Grant to employees of subsidiary or holding or associate company.
 - b. Grant to identified employees, during any one year, equal to or exceeding 1% of the issued capital (excluding outstanding warrants and conversions) of the company at the time of grant.
- 29 Details of the variation made to the scheme along with the rationale therefor and the details of the employees who are beneficiary of such variation:

Sd/-

Company Secretary

Place:

Date:

Documents to be filed with registration statement

- 1 Copy of scheme, certified by the Company Secretary.
- 2 Copy of notice of AGM/EGM approving the scheme/for amending the scheme/for approving grants under regulation 6(3) of these regulations certified by the Company Secretary.
- 3 Copy of resolution of shareholders for approving the scheme/ for amending the scheme/for approving grants under regulation 6(3) of these regulations certified by the Company Secretary.
- 4 List of Promoters as defined under these regulations.
- 5 Copy of latest Annual Report.
- 6 Certificate of Secretarial Auditor on compliance with these regulations.
- 7 Specimen copy of share certificate, if applicable.
- 8 Any other relevant documents.

Undertakings

The undersigned company hereby undertakes:

- 1 To file, a post-effective amendment to this statement to include any material information with respect to the scheme of distribution not previously disclosed in the statement or any material change to such information in the statement.
- 2 To notify, the concerned recognised stock exchanges on which the shares of the company are listed, of each issue of shares pursuant to the exercise of options or SARs under the scheme mentioned in this statement, in the specified form, as amended from time to time.
- 3 That the company shall conform to the accounting policies specified in regulation 15 of the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, [2021]
- 4 That the scheme conforms to the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee

Benefits and Sweat Equity) Regulations, [2021]

- 5 That the company has in place systems / codes / procedures to comply with the Securities and Exchange Board of India (Insider Trading) Regulations, 2015 or any modification or re- enactment thereto.

Signatures

Pursuant to the requirements of the Act / Regulations, the company certifies that it has reasonable grounds to believe that it meets all the requirements for the filing of this form and has duly caused this statement to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto, duly authorized

Name of the company

Name of the Compliance Officer

Designation

Date: Place:

Certification by Registered Merchant Banker, pursuant to regulation 12(6) of these regulations:

“Certified that the scheme conforms to the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021”

Date:

Authorised Signatory

Place:

Name of the Merchant Banker

Part E - Format of notification for issue of shares

[See regulation 10(c)]

1. Company name and address of Registered Office :
2. Name of the recognised Stock Exchanges on which the company's shares are listed :
3. Filing date of the statement referred in regulation 10(b) of the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 with the recognised Stock Exchange :
4. Filing Number, if any :
5. Title of the Scheme pursuant to which shares are issued, if any:
6. Kind of security to be listed :
7. Par value of the shares :
8. Date of issue of shares :
9. Number of shares issued :
10. Share Certificate No., if applicable :
11. Distinctive number of the share, if applicable :
12. ISIN Number of the shares if issued in Demat :
13. Exercise price per share:
14. Premium per share :
15. Total issued shares after this issue :
16. Total issued share capital after this issue :
17. Details of any lock-in on the shares :
18. Date of expiry of lock-in :
19. Whether shares are identical in all respects to existing shares? If not, when will they become identical? :

20. Details of listing fees, if payable :

Signature of Company Secretary/Compliance Officer

Date:

Place:

Part F- Disclosures by the Board of Directors

[See regulation 14]

The Board of Directors in their report shall disclose any material change in the scheme(s) and whether the scheme(s) is / are in compliance with the regulations.

Further, the following details, *inter alia*, shall be disclosed on the company's website and a web-link thereto shall be provided in the report of Board of Directors.

- A. Relevant disclosures in terms of the accounting standards prescribed by the Central Government in terms of section 133 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) including the 'Guidance note on accounting for employee share-based payments' issued in that regard from time to time.
- B. Diluted EPS on issue of shares pursuant to all the schemes covered under the regulations shall be disclosed in accordance with 'Accounting Standard 20 - Earnings Per Share' issued by Central Government or any other relevant accounting standards as issued from time to time.

C. Details related to ESOS

- (i) A description of each ESOS that existed at any time during the year, including the general terms and conditions of each ESOS, including -
 - (a) Date of shareholders' approval
 - (b) Total number of options approved under ESOS
 - (c) Vesting requirements
 - (d) Exercise price or pricing formula
 - (e) Maximum term of options granted
 - (f) Source of shares (primary, secondary or combination)
 - (g) Variation in terms of options
- (ii) Method used to account for ESOS - Intrinsic or fair value.
- (iii) Where the company opts for expensing of the options using the intrinsic value of the options, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value of the options shall be disclosed. The impact of this difference on profits and on EPS of the company shall also be disclosed.
- (iv) Option movement during the year (For each ESOS):

Particulars	Details
Number of options outstanding at the beginning of the period	
Number of options granted during the year	
Number of options forfeited / lapsed during the year	
Number of options vested during the year	
Number of options exercised during the year	
Number of shares arising as a result of exercise of options	
Money realized by exercise of options (INR), if scheme is implemented directly by the company	

Loan repaid by the Trust during the year from exercise price received	
Number of options outstanding at the end of the year	
Number of options exercisable at the end of the year	

- (v) Weighted-average exercise prices and weighted-average fair values of options shall be disclosed separately for options whose exercise price either equals or exceeds or is less than the market price of the stock.
- (vi) Employee wise details (name of employee, designation, number of options granted during the year, exercise price) of options granted to -
- senior managerial personnel as defined under Regulation 16(d) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
 - any other employee who receives a grant in any one year of option amounting to 5% or more of option granted during that year; and
 - identified employees who were granted option, during any one year, equal to or exceeding 1% of the issued capital (excluding outstanding warrants and conversions) of the company at the time of grant.
- (vii) A description of the method and significant assumptions used during the year to estimate the fair value of options including the following information:
- the weighted-average values of share price, exercise price, expected volatility, expected option life, expected dividends, the risk-free interest rate and any other inputs to the model;
 - the method used and the assumptions made to incorporate the effects of expected early exercise;
 - how expected volatility was determined, including an explanation of the extent to which expected volatility was based on historical volatility; and
 - whether and how any other features of the options granted were incorporated into the measurement of fair value, such as a market condition.

Disclosures in respect of grants made in three years prior to IPO under each ESOS

Until all options granted in the three years prior to the IPO have been exercised or have lapsed, disclosures of the information specified above in respect of such options shall also be made.

D. Details related to ESPS

- (i) The following details on each ESPS under which allotments were made during the year:
- Date of shareholders' approval
 - Number of shares issued
 - The price at which such shares are issued
 - Lock-in period
- (ii) The following details regarding allotment made under each ESPS, as at the end of the year:

Particulars	Details
The details of the number of shares issued under ESPS	
The price at which such shares were issued	
Employee-wise details of the shares issued to;	

(i) “senior management” as defined under regulation 16(1)(d) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ;	
(ii) any other employee who is issued shares in any one year amounting to 5% or more shares issued during that year;	
(iii) identified employees who were issued shares during any one year equal to or exceeding 1% of the issued capital of the company at the time of issuance;	
Consideration received against the issuance of shares, if scheme is implemented directly by the company	
Loan repaid by the Trust during the year from exercise price received	

E. Details related to SAR

- (ii) A description of each SAR scheme that existed at any time during the year, including the general terms and conditions of each SAR scheme, including -
- Date of shareholders' approval
 - Total number of shares approved under the SAR scheme
 - Vesting requirements
 - SAR price or pricing formula
 - Maximum term of SAR granted
 - Method of settlement (whether in cash or equity)
 - Choice of settlement (with the company or the employee or combination)
 - Source of shares (primary, secondary or combination)
 - Variation in terms of scheme
- (iii) Method used to account for SAR - Intrinsic or fair value.
- (iv) Where the company opts for expensing of SAR using the intrinsic value of SAR, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value of SAR, shall be disclosed. The impact of this difference on profits and on EPS of the company shall also be disclosed.
- (v) SAR movement during the year (For each SAR scheme):

Particulars	Details
Number of SARs outstanding at the beginning of the year	
Number of SARs granted during the year	
Number of SARs forfeited / lapsed during the year	
Number of SARs vested during the year	
Number of SARs exercised / settled during the year	

Number of SARs outstanding at the end of the year	
Number of SARs exercisable at the end of the year	

- (vi) Employee-wise details (name of employee, designation, number of SAR granted during the year, exercise price) of SAR granted to -
- “senior management” as defined under regulation 16(1)(d) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
 - any other employee who receives a grant in any one year of amounting to 5% or more of SAR granted during that year; and
 - identified employees who were granted SAR, during any one year, equal to or exceeding 1% of the issued capital (excluding outstanding warrants and conversions) of the company at the time of grant.

Disclosures in respect of grants made in three years prior to IPO under each SAR scheme

Until all SARs granted in the three years prior to the IPO have been exercised or have lapsed, disclosures of the information specified above in respect of such SARs shall also be made.

F. Details related to GEBS / RBS

A description of each GEBS / RBS scheme that existed at any time during the year, including the general terms and conditions of each such scheme, including -

- Date of shareholders' approval
- Kind of benefits to be granted under the scheme
- Beneficiaries of the scheme
- Total assets of the scheme
- Quantum of holding in own shares / listed holding company shares (both absolute and in percentage)
- Whether scheme is in compliance of regulation 26(2) / 27(3) of these regulations, as applicable
- Variation in terms of scheme

G. Details related to Trust

The following details, *inter alia*, in connection with transactions made by the Trust meant for the purpose of administering the schemes under the regulations are to be disclosed:

- (iv) General information on all schemes

Sl. No.	Particulars	Details
1.	Name of the Trust	
2.	Details of the Trustee(s)	
3.	Amount of loan disbursed by company / any company in the group, during the year	
4.	Amount of loan outstanding (repayable to company / any company in the group) as at	

	the end of the year	
5.	Amount of loan, if any, taken from any other source for which company / any company in the group has provided any security or guarantee	
6.	Any other contribution made to the Trust during the year	

(v) Brief details of transactions in shares by the Trust

- (a) Number of shares held at the beginning of the year;
- (b) Number of shares acquired during the year through (i) primary issuance (ii) secondary acquisition, also as a percentage of paid up equity capital as at the end of the previous financial year, along with information on weighted average cost of acquisition per share;
- (c) Number of shares transferred to the employees / sold along with the purpose thereof;
- (d) Number of shares held at the end of the year.

(vi) In case of secondary acquisition of shares by the Trust

Number of shares	As a percentage of paid-up equity capital as at the end of the year immediately preceding the year in which shareholders' approval was obtained
Held at the beginning of the year	
Acquired during the year	
Sold during the year	
Transferred to the employees during the year	
Held at the end of the year	

Part G - Disclosure Document

[See regulations 16(2) and 23(3)]

A: Statement of Risks

All investments in shares, options or SARs are subject to risk as the value of shares may go down or go up. In addition, the options / SARs are subject to the following additional risks:

1. Concentration: The risk arising out of any fall in value of shares is aggravated if the employee's holding is concentrated in the shares of a single company.
2. Leverage: Any change in the value of the share can lead to a significantly larger change in the value of the options / SARs.
3. Illiquidity: The options / SARs cannot be transferred to anybody, and therefore the employees cannot mitigate their risks by selling the whole or part of their benefits before they are exercised.
4. Vesting: The options / SARs will lapse if the employment is terminated prior to vesting. Even after the options / SARs are vested, the unexercised options / SARs may be forfeited if the employee is terminated for gross misconduct.

B: Information about the company

1. Business of the company: A description of the main objects and present business of the company.
2. Abridged financial information: Abridged financial information, for the last five years for which audited financial information is available, as specified by the Board from time to time. The last audited accounts of the company shall also be provided unless this has

already been provided to the employee in connection with a previous option or SAR grant or otherwise.

3. Risk Factors: Management perception of the risk factors for the company (i.e., sensitivity to foreign exchange rate fluctuations, difficulty in availability of raw materials or in marketing of products, cost/time overrun etc.).
4. Continuing disclosure requirement: The option or SAR grantee shall be provided copies of all documents that are sent to the members of the company. This shall include the annual accounts of the company as well as notices of meetings and the accompanying explanatory statements.

C: Salient Features of the Scheme

This Part shall contain the salient features of the scheme of the company including the conditions regarding vesting, exercise, adjustment for corporate actions, and forfeiture of vested options / SARs as the case may be. It shall not be necessary to include this Part if it has already been provided to the employee in connection with a previous grant, and no changes have taken place in the scheme since then. If the scheme administrator (whether the company itself or an outside securities firm appointed for this purpose) provides advisory services to the grantees in connection with the exercise of options or SAR, as the case may be, or sale of resulting shares, such advice must be accompanied by an appropriate disclosure of concentration and other risks. The scheme administrator shall conform to the code of conduct appropriate for such fiduciary relationships.

SCHEDULE – II

[See regulation 32(1)]

The explanatory statement to the notice and the resolution proposed to be passed in the general meeting for approving the issuance of sweat equity shall, *inter alia*, contain the following information:

- (a) The total number of shares to be issued as sweat equity.
- (b) The current market price of the shares of the company.
- (c) The valuation of know-how or intellectual property rights or value addition to be received from the employee or director along with the valuation report / basis of valuation.
- (d) The names of the employees or directors or promoters to whom the sweat equity shares shall be issued and their relationship with the company.
- (e) The consideration to be paid for the sweat equity.
- (f) The price at which the sweat equity shares shall be issued.
- (g) Ceiling on managerial remuneration, if any, which will be affected by issuance of such sweat equity.
- (h) A statement to the effect that the company shall conform to the accounting policies as specified by the Board.
- (i) Diluted Earnings Per Share pursuant to the issue of securities to be calculated in accordance with Accounting Standards specified by the Central Government.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./197/2021-22]